खण्ड-413, अंक-2
सोमवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1916
(22 अगस्त, 1994 ई0)

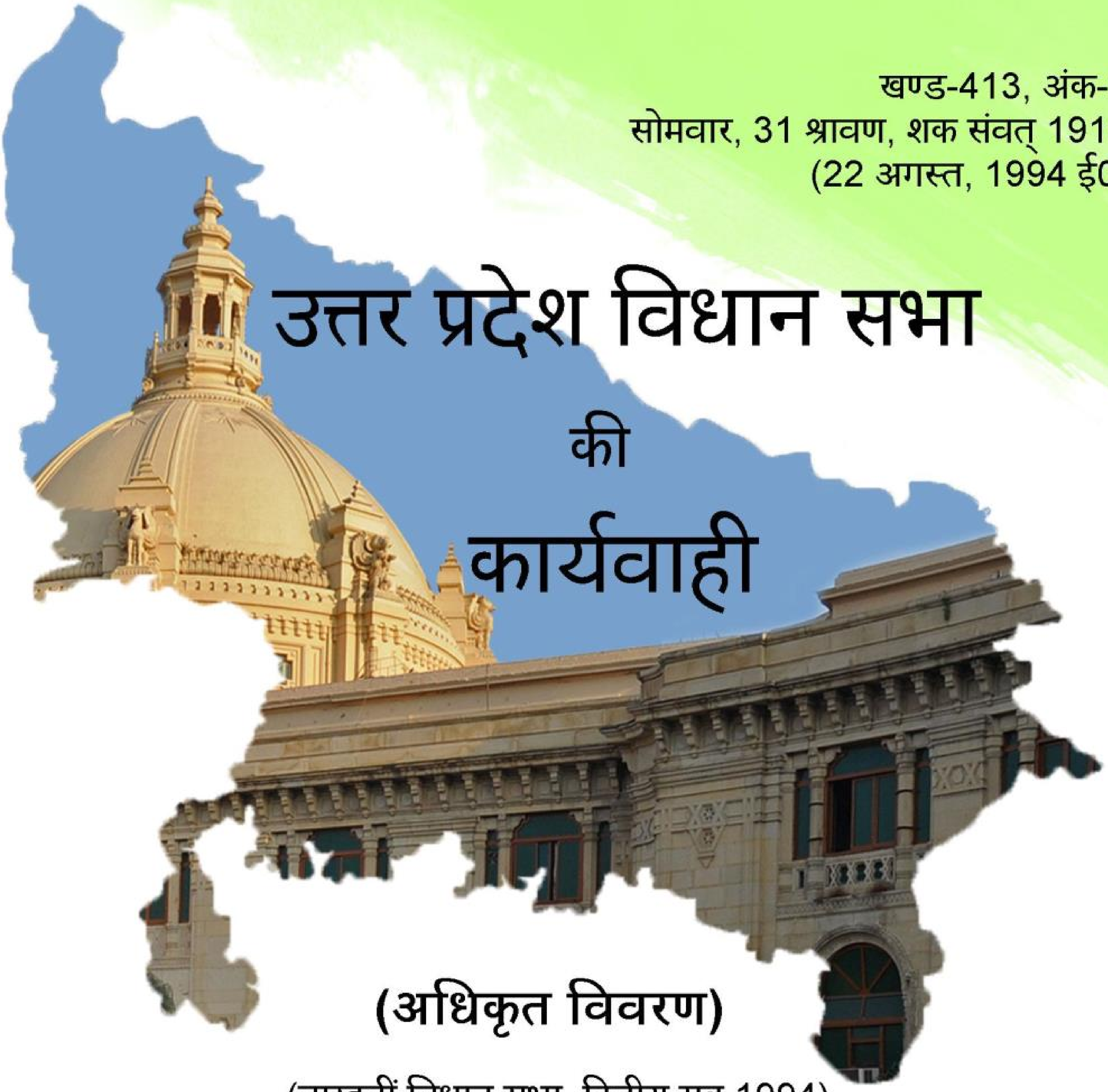

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1994)

खण्ड 413 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
उत्तराखण्ड में आरक्षण विरोधी आन्दोलन तीव्र होने विषयक सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–86
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)...	86
उत्तर प्रदेश सुख साधन कर अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)...	86
उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	87
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	87
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	87
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	87
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	87
उत्तर प्रदेश वन निगम अधिभार नियमावली, 1992 (सदन के पटल पर रखी गयी)	87
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 की त्रुटियों का शोधन विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	88
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 की त्रुटियों का शोधन विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)...	88

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 की त्रुटियों का शोधन विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	89
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र	89
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा)...	89
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा)...	90
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा) ...	90
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा)...	90
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा)	90
उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा)...	91
उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा)... ...	91
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा) ...	91
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्ति की घोषणा)...	92
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील कर्नैलगंज स्थित ग्राम कटुआ नाला, झौनहा, शहरिया टेढ़ी रायपुर, शहरियाकलां रायपुर, माधोपुर एवं नरायनपुर कलां ग्रामों का विद्युतीकरण कराने विषयक श्री बैजनाथ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	93

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील कर्नैलगंज स्थित ग्राम कटुआ नाला, झौनहा, शहरियाकलां टेढ़ी, रायपुर, शहरिया रायपुर, नरायनपुरकलां, माधोपुर आदि गावों में ट्यूबवेल लगवाने विषयक श्री बैजनाथ सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	93
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड कटरा बाजार, ग्राम कटुआ नाला के जूनियर हाईस्कूल को उच्चीकृत करके हाईस्कूल का दर्जा देने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	93
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड कटरा बाजार, तहसील करनैलगंज स्थित ग्राम कटुआ नाला में एक पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	93
जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज, विकास खण्ड कटरा बाजार के अन्तर्गत कटुआ नाला में एक महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	94
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	94–95
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु दो विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	95
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित किया गया)	95–96
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित किया गया)	96
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1994 (पुरःस्थापित किया गया)	96–97
नत्थियां.....	98–100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अखलाख, श्री	मेरठ
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव
इरशाद, श्री	आजमगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
चन्द्र शेखर, श्री	गाजीपुर
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
दीनानाथ भाष्कर, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विश्वम्भर सिंह, श्री	मथुरा
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हृदय नारायण, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार 22 अगस्त, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उत्तराखण्ड में आरक्षण विरोधी आन्दोलन तीव्र होने विषयक सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

सूचना की अनुमति न मिलने पर श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री यशपाल आर्य, श्री बंशीधर, श्री हरक सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री केदार सिंह फोनिया, श्री तिलक राज बेहड़, श्री हरवंश कपूर, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री रवीन्द्र सिंह (देहरादून), श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी आदि कई माननीय सदस्य सदन के मध्य आकर नारे लगाने लगे कि–
"पहाड़ विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।"

(घोर व्यवधान)

"पहाड़ को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करो",

(घोर व्यवधान के मध्य कई सदस्य डायस की ओर बढ़ने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में पान तम्बाकू एवं पान मसाला आदि पर लागू सुख-साधन कर की समाप्ति की मांग

**1–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पान तम्बाकू एवं पान मसाला आदि पर लगाए गए सुख-सुविधा कर को समाप्त करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

सुख साधन कर उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8/1994 द्वारा कुछ ही समय पूर्व दिनांक 1-6-94 से लगाया गया है । उक्त कर को समाप्त करने की शासन के समक्ष कोई योजना नहीं है ।

नोट :–प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गए ।

उ0 प्र0 की वार्षिक योजना 1994-95 में कृषि एवं गांवों के विकास के लिए सत्तर प्रतिशत धन का आवंटन

**2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट की सत्तर प्रतिशत धनराशि कृषि एवं गांवों के विकास के लिए आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा तथा उसका कितना लाभ किसानों को मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वार्षिक योजना, 1994-95 के परिव्यय का आवंटन इस प्रकार किया गया है कि उसके सत्तर प्रतिशत अंश का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त हो ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम संशोधन, पाठ्य पुस्तकों का नया विकास, अध्यापक प्रशिक्षण एवं आपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कार्यक्रमों का संचालन

*1–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर प्राथमिक पाठशालाओं में बेहतर शिक्षा प्रदान करने, संसाधन सुलभ कराने, भवनों के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों की मरम्मत एवं नवनिर्माण, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ? क्या नए विद्यालयों के खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक खोले जायेंगे ? क्या देवरिया जनपद सबसे बड़ा जनपद होने के नाते विशेष सुविधाएं देने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश में 15 दिसम्बर, 1993 तक प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री शाकिर अली)–

प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम का संशोधन, पाठ्य-पुस्तकों का नवविकास, अध्यापक प्रशिक्षण तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम संचालित है । जवाहर रोजगार योजना द्वारा भवनों के निर्माण एवं मरम्मत तथा "सबके लिए शिक्षा" विश्व बैंक सहायिक परियोजना संचालित है । "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत एक-एक अध्यापकों के अतिरिक्त पद उन विद्यालयों के लिए दिए गए हैं, जहां पर एक ही अध्यापक थे ।

जी हां ।

वर्ष 1994-95 में 135 प्राथमिक विद्यालयों एवं 73 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की स्वीकृति शासन से दी जा चुकी है । "सबके लिए शिक्षा" परियोजना के

वर्ष 94-95 में 739 प्राथमिक तथा 452 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं । प्रत्येक असंवित ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय तथा प्रत्येक असंवित न्याय पंचायत में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है ।

असंवित क्षेत्रों में विद्यालय अगले तीन वर्षों में खोलने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार सभी जिलों में असंवित ग्राम सभाओं व न्याय पंचायतों को आवृत किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 1080 शिक्षकों के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही की गई :-

1-निलम्बित	203
2-प्रशासनिक स्थानान्तरण	51
3-वेतन रोका गया	294
4-वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी	61
5-चयन वेतनमान रोका गया	39
6-चेतावनी	413
7-स्पष्टीकरण	19
योग	1080

जनपद लखनऊ में फैजाबाद रोड से गोमती बैराज तक रिंग-रोड किलोमीटर 3 पर स्थित कुकरैल नाला सेतु पथकर से मुक्त घोषित

*2-श्री हरेन्द्र सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में मोहल्ला बटलर पैलेस एवं गोमती-नगर के बीच स्थित गोमती बैराज पर टोल टैक्स की वसूली विगत 3 वर्ष या अधिक समय से की जा रही है ? यदि हां, तो बैराज की कुल लागत की कितनी धनराशि की अब तक वसूली की जा चुकी है और कितनी धनराशि बाकी है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वसूली के कारण उक्त रोड पर टैम्पो आदि वाहन नहीं चलते हैं जिससे कि जनता को काफी परेशानी है ? क्या सरकार जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में टोल टैक्स वसूली बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

जी नहीं । वर्तमान में पथकर की वसूली नहीं की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में फैजाबाद रोड से गोमती बैराज तक रिंग रोड पर किलोमीटर 3 पर स्थित कुकरैल नाला सेतु की सम्पूर्ण लागत की वसूली हो जाने के उपरान्त, इस सेतु को दिनांक 23-4-1994 से पथ कर से मुक्त घोषित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1992-93 में कुल 290 अशासकीय पूर्व माध्यमिक एवं 214 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया जाना

*3—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1992-93 में शासन ने प्रदेश के कुछ विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो कितने विद्यालयों को ? क्या उन विद्यालयों को उक्त अनुदान मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ?

श्री शाकिर अली—

जी हां ।

290 अशासकीय पूर्व माध्यमिक तथा 214 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया । 68 अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भेजा जा चुका है । शेष विद्यालयों की स्वीकृत अनुदान का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्वीकृत अनुदान के आदेश विचारोपरान्त निरस्त कर दिये गये हैं ।

सूची विस्तीर्ण है । अतः मा0 सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में उसे अवलोकित कर सकते हैं ।

[सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विश्व बैंक सहायित "उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा" परियोजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित जनपद

*1—श्री उदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 वर्ष तक के बालकों, बालिकाओं की शिक्षा हेतु जो प्रदेश के दस जिले लिये गये हैं, वे कौन-कौन से जिले हैं ? क्या उन जिलों की उन गांव सभाओं में जहां प्राइमरी स्कूल नहीं हैं और जिन न्याय पंचायतों में जूनियर हाई स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल खोलने की भी योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या उन गांवों का चयन हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के मा0 विधायकों से गांवों का नाम मांगा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली—

विश्व बैंक सहायित "उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा" परियोजना से आच्छादित दस जनपद—वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, सहारनपुर, गढ़वाल व नैनीताल हैं ।

जी हां ।

विद्यालय खोलने का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है । इस समिति की बैठक में संबंधित विधायकों को विशेष आमंत्री के रूप में बुलाये जाने की व्यवस्था है ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लाये जाने की मांग

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्प्रति प्रदेश में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त ऐसे कितने जूनियर हाई स्कूल हैं, जो अभी तक अनुदान सूची पर नहीं लाये जा सके ? वित्तीय वर्ष 1994-95 में इनमें से कितने जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शकिर अली–

प्रदेश में सम्प्रति कुल 2457 ऐसे अशासकीय "अ" श्रेणी की मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जो अनुदान सूची में सम्मिलित नहीं हैं ।

विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 1994-95 में अशासकीय "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिक्रीकर की तत्कालीन व्यवस्था को समाप्त करके, व्यापार कर की वैकल्पिक व्यवस्था लागू किया जाना

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर प्रणाली की पेचीदगी से मुक्ति दिलाये जाने की व्यापारिक संगठनों की मांग पर बिक्रीकर को पूरी तरह समाप्त करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या व्यापारिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत मांगों के अनुरूप बिक्रीकर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश के समस्त व्यापारिक संगठनों द्वारा 31 मई, 94 को अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अभूतपूर्व रूप से बन्द रखकर विरोध प्रदर्शन करने का औचित्य क्या था ? क्या सरकार उनकी मांगों पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकार द्वारा राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बिक्रीकर की तत्कालीन व्यवस्था को खत्म करके वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया गया था ।

बिक्रीकर की तत्कालीन व्यवस्था को खत्म करके व्यापार-कर की वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी गयी है ।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं था ।

सरकार व्यापारियों की प्रत्येक उचित मांगों पर विचार करने हेतु सदैव तैयार है ।

उ0 प्र0 की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 1993-94 में 31 मई तक अवशिष्ट भुगतान का विवरण

*4—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का वर्ष 1994 का, कितना मूल्य, माह मई, 1994 तक का बकाया है ? सरकार किसानों का गन्ना मूल्य दिलाने के लिए कौन सी उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 31-5-94 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 1993-94 के कुल देय गन्ना मूल्य रु0 1595.50 करोड़ के विरुद्ध केवल रु0 54.49 करोड़ बकाया था जो घटकर दिनांक 31-7-94 को रु0 39.26 करोड़ रह गया है। बकाया गन्ना मूल्य कुल देय मूल्य का 2.46 प्रतिशत है।

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए मिलों पर बराबर दबाव डाला जा रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं है।

कप्तानगंज, जिला बस्ती के अन्तर्गत कुवानों नदी पर स्थित शिवघाट पर पक्का पुल बनाये जाने की मांग

*5—श्री बाबू राम वर्मा, श्री अखिलेश तथा श्री आनन्द यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज, जिला बस्ती के अन्तर्गत कुवानों नदी पर स्थित शिव घाट पर पक्का पुल बनाये जाने का प्रस्ताव वर्तमान सरकार द्वारा अपने पूर्व शासन काल में स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त पुल न बनाए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त पुल के निर्माण होने के उपरान्त दभनान-गौर-तिनिब के लाखों परिवारों को बांसी, रुधौली, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर जाने में प्रतिमाह लाखों रुपये की किराये भाड़े की बचत होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण शीघ्र कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

शासन द्वारा प्रश्नगत सेतु तथा इसके पहुंच मार्ग की स्वीकृति क्रमशः दिनांक 30-3-88 एवं 24-1-90 को दी गयी थी।

वित्तीय संसाधनों की कमी होना।

जी हां।

फिलहाल वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सम्भव नहीं है।

उ0 प्र0 में वर्ष 1993-94 में बिक्रीकर द्वारा एवं 1994-95 में व्यापार कर द्वारा प्राप्त राजस्व का विवरण

*6–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर के द्वारा वर्ष 1993-94 में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई तथा कितना रुपया प्राप्त करना शेष है ? व्यापार कर के द्वारा वर्तमान सत्र 1994-95 में कितने राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है तथा इसकी अब तक की आंशिक वसूलयाबी कितनी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993-94 में संशोधित बजट अनुमान रु0 1820 करोड़ के विरुद्ध बिक्रीकर रु0-1837.74 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई ।

वर्ष 1994-95 का बजट अनुमान 2000 करोड़ है ।

वर्ष-1994-95 में माह जुलाई-1994 तक अनन्तिम रु0-564.93 करोड़ की वसूली हुई है ।

घाघरा सेतु, भागलपुर जनपद देवरिया, घाघरा सेतु मांझी घाट तथा जनपद बलिया में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

*7–श्री दीनानाथ चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत घाघरा सेतु भागलपुर, गंगा मांझी पुल व बलिया में ओवर ब्रिज बनाने हेतु राज्य सेक्टर से कब-कब कितना-कितना धन दिया गया था ? क्या यह सच है कि उक्त सभी पुलों का निर्माण अधूरा है ? क्या सरकार उक्त तीनों पुलों का निर्माण कार्य तत्काल पूरा करने हेतु धन उपलब्ध कराते हुए कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

घाघरा सेतु, भागलपुर (जनपद-देवरिया), घाघरा सेतु मांझी घाट (प्रश्न में उल्लिखित गंगा मांझी पुल के नाम के बजाय) तथा जनपद-बलिया में रेल उपरिगामी सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु विभिन्न वर्षों में धनराशि उपलब्ध कराये जाने का विवरण संलग्न है।

जी, हां ।

पुलों को पूर्ण कराना संसाधनों पर निर्भर है । वर्तमान में इनकी कमी है ।

(देखिए परिशिष्ट 'क' आगे पृष्ठ 98 पर)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हेतु भारत सरकार से पत्राचार

*8–श्री बालेश्वर त्यागी, श्री सुधीर कुमार बालियान, श्री रतन पाल पंवार, श्री हरक सिंह रावत, श्री सत्य प्रकाश विकल, चौधरी उदय भान सिंह तथा श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हेतु वर्तमान सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या विगत दिनों इस विषय पर केन्द्र सरकार से कोई विचार विमर्श हुआ है ? यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हेतु वर्तमान सरकार ने भारत सरकार से पत्राचार किया तथा भारत सरकार के परामर्शानुसार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मा0 मुख्य न्यायाधीश का कतिपय बिन्दुओं पर अभिमत तथा दृष्टिकोण जानने हेतु अनुरोध किया गया है ।

उ0प्र0 में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के पुनर्गठन प्रस्ताव

*9–श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक वर्ष से अधिक उ0 प्र0 में चुनाव बोर्ड की स्थापना के उपरान्त भी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापिकाओं के कई-कई वर्षों से चले आ रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण शिक्षा का स्तर एवं अनुशासन बराबर गिर रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानाचार्यों एवं अध्यापिकाओं के रिक्त पदों पर चयन निश्चित रूप से कब तक सम्पन्न हो सकेगा ?

श्री शाकिर अली–

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के चयन हेतु चार माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्डों का गठन अधिसूचना दिनांक 7-8-93 द्वारा किया गया था किन्तु कतिपय कारणों से उक्त बोर्ड प्रभावी नहीं हो सका । अब पुनः उक्त चार चयन बोर्डों के स्थान पर एक माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन होने के कारण चयन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकी है ।

यथाशीघ्र ।

सहकारी आवास समितियों द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प-शुल्क समाप्ति की मांग

*10–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी आवास समितियों द्वारा क्रय किये जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क लगता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे स्टाम्प शुल्क से सहकारी समितियों को मुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में संचालित टैम्पो को प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण-पत्र दिया जाना

*11—श्री तेजभान सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लखनऊ में चल रहे टैम्पो को प्रदूषण नियंत्रित का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। यदि हां, तो कब से यह प्रक्रिया लागू की गयी है तथा 9-6-94 तक हजरतगंज चौराहे पर प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आयी है ? क्या उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त टैम्पो प्रमाण-पत्र की मंशानुरूप कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो विगत दो माह की जांच रिपोर्ट क्या है तथा कितने टैम्पो दोषयुक्त पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

लखनऊ में संचालित हो रहे टैम्पो को प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण-पत्र लेना सन्ट्रल मोटर वेहिकल्स, रूल्स 1989 के नियम 115 उपनियम 7 के अन्तर्गत आवश्यक है।

हजरतगंज चौराहे पर कार्बन मोनो आक्साइड के योग में जून 93 की तुलना में जून 1994 में 24% की गिरावट आई है।

जी हां।

विगत माह (जून 1994) में कुल 387 विकम टैम्पो की जांच की गयी तथा दो वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र निरस्त किए गए एवं वाद न्यायालय भेजा गया।

*12—श्री नजमुद्दीन—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

काशीपुर जनपद नैनीताल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति की मांग

*13—श्री राजीव कुमार—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर (नैनीताल) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां

मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग एम0 एम0 आई0 ई0/बी0 ई0 डिग्री धारक अवर अभियन्ताओं की पदोन्नतियां बाधित होने के कारणों की जानकारी

*14–श्री दर्शन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि एम0 एम0 आई0 ई0/बी0 ई0 डिग्री धारक अवर अभियन्ताओं की 1991 के बाद कोई पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निश्चित रिक्त पदों की सूचना के अभाव में संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नतियां वर्ष 1991 के बाद नहीं की जा सकी हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् में मृतक आश्रितों की अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की जानकारी

*15–डा0 राम चन्द्र लाम्बा तथा श्री मोहर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय एवं अनुदानित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद् में मृतक आश्रितों को अधिसंख्य पद पर नियुक्त करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह प्राविधान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाकिर अली–

बेसिक शिक्षा परिषद् में अभी तक अनुदानित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की भांति अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति का प्राविधान नहीं है किन्तु रिक्त पदों के प्रति मृतक आश्रितों की नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था है ।

सम्प्रति विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच के आजाद इण्टर कालेज में साधिकार नियंत्रक द्वारा अनियमित रूप से प्रवक्ता के पद पर की गयी नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

1–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के आजाद इण्टर कालेज में साधिकार नियंत्रक ने मई, 92 में विद्यालय के एक लिपिक श्री फैजुल हसन की नियुक्ति इतिहास प्रवक्ता के पद पर की है ? क्या यह सत्य है कि इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने उपसचिव, शिक्षा अनुभाग-16 को अ0 शा0 पत्र संख्या-8633/37/92, दि0 3-12-92 लिखा है ? यदि हां, तो इस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि प्रवक्ता का यह पद आरक्षित समूह का है और नियुक्ति के समय शासन द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति पर रोक लगी थी ? क्या इस अनियमितता के संबंध में शासन विभाग की कुछ

शिकायती पत्र भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किनके एवं किन तिथियों के प्राप्त हुए हैं ? नियुक्ति में शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी हां ।

श्री फजूल हसन द्वारा योजित याचिका में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर प्रतिवाद की कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस पद को आरक्षित समूह के होने का कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं है । यह सही है कि इस नियुक्ति के समय शासन ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की परिधि में आने वाले प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व एल0 टी0 श्रेणी के पदों पर भर्ती को प्रतिबन्धित कर दिया था ।

जी हां ।

तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से निदेशालय को दिनांक 28-1-94 एवं 3-3-94 को प्राप्त हुए ।

श्री रघुराज मिश्र, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच (पदेन) प्राधिकृत नियंत्रक आजाद इण्टर कालेज, बहराइच के विरुद्ध उनके राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच कार्यकाल में बरती गई अनियमितताओं के लिए प्रशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र तैयार किए गए तथा श्री मिश्र के विरुद्ध उनके द्वारा बरती गई गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में निलम्बन/अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है तथा श्री मिश्र को निलम्बित करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं ।

एन0ए0 इण्टर कालेज बिलसी, बदायूं में अंशकालिक प्रवक्ताओं के देयों का भुगतान एवं उन्हें नियमित करने की मांग

2–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0 ए0 इण्टर कालेज, बिलसी (बदायूं) में जुलाई, 91 से जनवरी, 93 तक कितने अंशकालिक प्रवक्ता कार्यरत थे ? क्या उनके समस्त वेतन, भत्तों का भुगतान कर दिया गया है ? कितने प्रवक्ताओं को नियमित नहीं किया गया ? इसके क्या कारण रहे हैं ?

श्री शाकिर अली–

प्रश्नगत अवधि में तीन अंशकालिक प्रवक्ता कार्यरत थे ।

दो प्रवक्ताओं को देय भुगतान संस्था द्वारा अपने निजी स्रोतों से कर दिया गया है, शेष एक का भुगतान शीघ्र करने हेतु आश्वासन दिया गया है ।

अंशकालिक प्रवक्ताओं को नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

नियमावली/शासनादेशों का पूरा न किये जाने तथा अतिक्रमण कर सामान्य अभ्यर्थी को नियुक्त कराकर वेतन भुगतान करा देने के संबंध में शिक्षा सचिव, उ0 प्र0 को प्रेषित श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र

3—श्री अच्छा पाठक—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सचिव, उ0 प्र0 को श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र दिनांक 12-5-92 अनुसूचित जाति व जनजाति का कोटा पूरा न किये जाने तथा शासनादेशों व नियमावली का अतिक्रमण कर सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति कराकर वेतन भुगतान करा देने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक को कोई नोटिस भी दी गयी ? यदि हां, तो कब और क्या ? क्या उक्त नोटिस की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक ने विभागीय वित्त विभाग को भेजी थी ताकि संबंधित अनियमित/नियुक्ति का वेतन भुगतान न हो ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली—

सम्प्रति संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं है । विभागीय अधिकारियों को श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र की प्रति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त पत्र की प्रति प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

जनपद गोण्डा में बभनान शुगर मिल के गन्दे पानी से प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति मिल द्वारा किये जाने की मांग

4—श्री राम विलास आजाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, मनकापुर द्वारा वर्ष 1990-91, 1992-93 में बभनान शुगर मिल के गन्दे पानी से प्रभावित किसान ग्राम बभनी और महरागांरा की सूची बनवायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या कृषकों के फसल की क्षतिपूर्ति मिल द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक क्षतिपूर्ति की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, सूची बनायी गयी थी । ग्राम बभनी खास के कृषकों को उन्हें मिलने वाली क्षति पूर्ति वितरित की जा चुकी है महरा गांरा के प्रभावित कृषकों को वर्ष 1989-90 व 1990-91 की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है । 1992-93 की क्षतिपूर्ति वितरित होनी बाकी है, जिसके लिए अभी तक संबंधित कृषकों द्वारा दावा ही नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज बिल्थरा रोड बलिया के प्रधानाचार्या द्वारा अवैध वसूली एवं धांधली की जांच की मांग

5—श्री मुकिल नाथ—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज, बिल्थरा रोड, जिला बलिया के प्रधानाचार्या द्वारा छात्राओं से फीस के अलावा बनमाने ढंग से पैसे की वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाचार्या द्वारा उक्त

स्कूल की साज-सज्जा के कार्यों में भी गोलमाल किया गया है ? क्या सरकार वर्ष 1990 से दिसम्बर, 1993 तक कक्षा-8 से कक्षा-12 तक की छात्राओं द्वारा ली गयी फीस व अन्य पैसे का विवरण देगी ? उक्त स्कूल की साज-सज्जा में कितना पैसा, कहां-कहां पर खर्च किया गया है ? क्या सरकार इसका सत्यापन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित पूरे प्रकरण की जांच/आडिट कराने हेतु मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया गया । आडिट पार्टी 19 मई से 23 मई, 1994 को जांच हेतु गई परन्तु प्रधानाचार्यों के अनुपस्थिति के कारण अभिलेखों को प्रबन्धतंत्र ने उपलब्ध नहीं कराया । माह सितम्बर, 1994 में पुनः आडिट/जांच हेतु प्रस्तावित है ।

जांच/आडिट आख्या प्राप्त होने पर वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

तदैव ।

मुख्य लेखाधिकारी से प्रकरण की जांच/आडिट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

पूर्व प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली की विश्व बैंक परियोजना में अनियमित प्रति नियुक्ति की तथ्यात्मक जांच

7–श्री धूराराम–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पूर्व प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, रायबरेली का नियमित चयन, उप शिक्षा निदेशक पद पर अनुशासनिक कार्यवाही चलते रहने के कारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन्हें वरिष्ठ विशेषज्ञ (संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर का पद) विश्व बैंक परियोजना में उक्त तथ्यों को छिपाकर, उच्च वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा किस आधार पर किया गया है ? क्या शासन उक्त अवैध नियुक्ति को निरस्त करने तथा तथ्यों को छिपाकर अनियमित प्रतिनियुक्ति कराने वाले अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद में मान्यता प्राप्त उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

8—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कुल कितने व कौन-कौन से स्थाई मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें वर्तमान सत्र सहित, विगत वर्ष सत्रों में छात्र संख्या सौ से भी कम थी ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर सरकार की नीति क्या है ?

श्री शाकिर अली—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद फर्रुखाबाद में कुल 151 मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं । जी हां, एक विद्यालय की छात्र संख्या 100 से कम है ।

छात्र संख्या कम होने के कारण देहाती क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में अन्य किसी विद्यालय को मान्यता न दिये जाने की नीति है ।

उ0 प्र0 निर्माण निगम में प्रति नियुक्ति पर कार्यरत स्थानिक/सहायक स्थानिक एवं उप अभियन्ताओं में संख्या की जानकारी

9—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब उ0 प्र0 निर्माण निगम में कार्यकारी मैनुअल 1984 में एक सहायक स्थानिक अभियंता/स्थानिक अभियंता के अधीन दो उप अभियंताओं को रखे जाने का प्राविधान है क्या वर्तमान समय में निगम में क्रमशः सहायक स्थानिक अभियंता, स्थानिक अभियंता एवं उप अभियंताओं की वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है ? उपरोक्त में से प्रतिनियुक्ति पर कितने-कितने अभियन्ता कार्यरत हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में कार्यकारी मैनुअल—1984 के प्रस्तर—861 में सामान्यतः एक इकाई के एक कार्यस्थल पर एक परियोजना प्रबंधक, एक सहायक स्थानिक अभियंता व दो उप अभियंता रखे जाने का प्राविधान है । परन्तु इकाई में कार्य-भार को देखते हुए यह संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है ।

वर्तमान में निगम में प्रतिनियुक्ति पर 49—स्थानिक अभियंता, 16—सहायक स्थानिक अभियंता व 33—उप अभियंता कार्यरत हैं ।

मस्टर रोल उप-अभियंताओं को विशेष परिस्थितियों में तीन वर्ष के उपरान्त एम0 बी0 पावर दिये जाने का शासकीय प्राविधान

10—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के कार्यकारी मैनुअल में मस्टर रोल उप अभियंताओं को तीन वर्ष की निगम सेवा के उपरान्त एम0 बी0 पावर दिए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो अब तक मात्र 47 (सैंतालीस) उप अभियंता मस्टर रोल को ही एम0 बी0 पावर दिए जाने का आधार क्या है ? क्या सरकार अन्य उन सभी उप अभियंताओं (मस्टर रोल) को भी एम0 बी0 पावर प्रदान किए जाने के निर्देश देगी जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक की निगम सेवा पूर्ण कर ली है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मस्टर रोल उप-अभियन्ताओं को तीन वर्ष के उपरान्त ही एम0 बी0 पावर दिये जाने का प्राविधान है ।

मस्टर रोल पर कार्यरत उप अभियंताओं को कार्य की आवश्यकता, नियमित कर्मियों की अनुपलब्धता आदि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही एम0 बी0 पावर दिया गया है ।

जी नहीं । यह व्यवस्था केवल अपरिहार्य परिस्थितियों से निपटने के लिए की गयी है ।

वर्तमान अवर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद पर रहते हुए की गई गम्भीर अनियमितताओं की जांच की मांग

11–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा), जब सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद पर कार्यरत थे तो अवैध और नियम विरुद्ध तरीके से काफी संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की थी ? यदि हां, तो वह संख्या कितनी है ? उन पर अब तक शासन के ऊपर कितना अनावश्यक वित्तीय व्यय भार पड़ा है ? क्या इस गम्भीर अनियमितता तथा राजकोष का अपव्यय करने वाले उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाकिर अली–

प्रश्नगत प्रकरण में जांच की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यालय जिन-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों में खोले गये हैं उनके विवरण की मांग

12–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यालय किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों में खोले गये हैं ? क्या उनका स्टेन्डर्ड किराया स्वीकृत शासन की दर से अधिक भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस शासकीय हानि के लिए विभागीय अधिकारियों के वेतन से सेवा निवृत्त से पूर्व वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों में स्थापित हैं :–

1–विभागीय निर्माण इकाई (रा0 मा0) का कार्यालय श्री ए0 के0 सिंह, उप प्रशासक, शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ के आवास में ।

2–राष्ट्रीय मार्ग खण्ड सं0–2 का कार्यालय श्री हुंडी सिंह, अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के आवास में ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासनादेश संख्या 1170/8-11-83 के अनुपालन की जानकारी

13—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग—1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1170, दिनांक 8 नवम्बर, 1983 का पूर्णतः अनुपालन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो निगम के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन में वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 (15 फरवरी, 1994) तक कितनी-कितनी धनराशि उक्त मद में जमा करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 99-100 पर)

विवेक चीनी मिल रामगढ़ जनपद सीतापुर हेतु अधिग्रहीत भूमि आदि के प्रतिकर का अंतिम एवार्ड न दिये जाने के कारणों की जानकारी

14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विवेक चीनी मिल, रामगढ़, जिला सीतापुर के लिए जो कृषि भूमि अधिग्रहीत की गयी है उसके तथा उस पर लगे वृक्षों के प्रतिकर का अन्तिम एवार्ड अब तक न होने का क्या कारण है ? इस विषय में निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रकरण में जिलाधिकारी, सीतापुर से मांगी गयी आख्या प्रतीक्षित है ।

अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद पर की गयी गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही की मांग

15—श्री नन्द लाल सिंह पटेल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के रूप में परिषद् के कार्यों हेतु बहुत बड़ी धनराशि का अग्रिम भुगतान किया गया है जिसका समायोजन आज तक शासन द्वारा नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ? क्या इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता करने वाले उपरोक्त अपर निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शाकिर अली—

जी हां । रु0 तीन लाख । इस संबंध में संबंधित अधिकारी से स्थिति की जानकारी ली जा रही है ।

शासन द्वारा जनपद हरदोई के जिला परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के समस्त वर्षों का भुगतान सम्पन्न

16–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के जिला परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्रों) में माह जनवरी एवं फरवरी, 1993 में कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो इनमें से किन-किन सहायक अध्यापकों का माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 1993 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? इस अनियमितता के लिये कौन उत्तरदायी है और शासन उसके विरुद्ध कब तक तथा क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन रुके हुए इस वेतन के वितरण हेतु कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । सभी का वेतन भुगतान हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गुरुसहायगंज से फर्रुखाबाद तक 37 किलोमीटर अवशिष्ट मार्ग को हाट मिक्स प्लाण्ट द्वारा बनाये जाने की मांग

17–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कानपुर से फर्रुखाबाद के सड़क मार्ग को गुरसहायगंज तक कई वर्ष पूर्व हाटमिक्स प्लाण्ट द्वारा निर्मित कराया जा चुका है ? यदि हां, तो गुरुसहायगंज से फर्रुखाबाद तक मात्र 45 किलोमीटर शेष सड़क मार्ग को हाटमिक्स प्लाण्ट द्वारा कब तक बनाया जाना प्रस्तावित है ? इस मद में आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग के कानपुर से कानपुर देहात की सीमा गंगवापुर तक हाट मिक्स प्लाण्ट से पूर्व में निर्मित हो चुकी है । जनपद फर्रुखाबाद में पड़ने वाले भाग में से आंशिक भाग को हाट मिक्स प्लाण्ट से निर्मित कराया जा चुका है ।

गुरुसहायगंज से फर्रुखाबाद की दूरी 45 किमी0 के बजाय 37 किमी0 है । इसमें से फतेहगढ़ से फर्रुखाबाद तक 5 किमी0 मार्ग हाट मिक्स प्लाण्ट से निर्मित है । गुरुसहायगंज से फतेहगढ़ शेष 32 कि0मी0 भाग में हाट मिक्स प्लाण्ट से निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत नहीं है ।

कार्य के स्वीकृत न होने तथा सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल इस मद में धनराशि का प्रबन्ध करना संभव नहीं है ।

सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज, फरीदपुर बरेली की प्रबन्ध समिति का चुनाव पुरानी प्रशासन योजनान्तर्गत सम्पन्न

18—डा0 सियाराम सागर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 ए0 एस0 इण्टर कालेज, फरीदपुर, बरेली की प्रबन्ध समिति का चुनाव निर्धारित समय के अन्दर कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रबन्ध समिति का चुनाव शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली—

जी नहीं । प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन प्रशासन योजना अनुमोदित न कराये जाने के कारण चुनाव निर्धारित समय के अन्दर नहीं कराये गये । जी नहीं । दिनांक 23-1-93 को प्रबन्ध समिति का चुनाव पुरानी प्रशासन योजना के अनुसार निर्धारित अवधि के उपरान्त कराया गया था जिसमें पर्यवेक्षक का प्राविधान नहीं था ।

जनपद जालौन में बालक/बालिकाओं के राजकीय विद्यालयों की संख्या एवं रिक्त पदों का विवरण

19—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में बालक/बालिकाओं के कुल कितने राजकीय इण्टर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं ? इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं और क्या शासन इनकी पूर्ति निकट भविष्य में करने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाकिर अली—

जिला जालौन में बालक/बालिकाओं के कुल 9 राजकीय विद्यालय निम्नवत् संचालित हैं :—

बालक

1—राजकीय इण्टर कालेज, उरई

2—राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा-छावनी

3—राजकीय इण्टर कालेज, बंगरा

4—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डकोर

5—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुसमरिया

6—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सैदनगर

बालिका

1—राजकीय बालिका इण्टर कालेज, उरई

2—राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बावई

3—राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोहन ।

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या	04 पद
प्रधानाध्यापिका हाई स्कूल	02 पद
प्रवक्ता	19 पद
सहायक अध्यापक, (एल0टी0)	12 पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01 पद

जी हां । आयोग और विभाग द्वारा चयन की कार्यवाही पूर्ण होते ही पदों की पूर्ति की जायेगी ।

श्री राम सरन पूर्व विधायक के दिनांक 5-9-92 के पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर मुख्य अभियन्ता की जांच में शासकीय हानि का न पाया जाना

20–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के अता0 प्रश्न संख्या 37 की गलत बयानी के संबंध में तत्कालीन विधायक श्री राम सरन का पत्र दिनांक 5-9-92 सचिव, लोक नि0 वि0 को तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के पत्रांक 1201 वी0 आई0 पी0/92, दिनांक 14-9-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो गलत बयानी के लिए कौन जिम्मेदार है ? दिनांक 5-9-92 के पत्र की प्रत्येक बिन्दु पर जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और उसके जांच परिणाम क्या रहे और कितनी शासकीय हानि हुई ? क्या उक्त जांच आख्या के परिणामों की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्री राम सरन तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 5-9-92 विभाग को प्राप्त हुआ है । यह कहना सही नहीं है कि उनके प्रश्न के उत्तर में गलत बयानी की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कथित पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर मुख्य अभियन्ता (भवन) की जांच में कोई शासकीय हानि नहीं पायी गयी ।

कोई औचित्य नहीं बनता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी से धानी मार्ग पर अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की मांग

21–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी से धानी मार्ग पर अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों को मिला है और कब ? क्या कोई गांव अभी बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

ग्राम रिसहनिया, इड़िया, नावट, विशुनपुर मुस्तहकम्, सेमरा मुस्तहकम् एवं बड़हरा को मुआवजे का भुगतान वर्ष 1988 में (विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी) को किया गया है ।

जी हां ।

ग्राम बांसी खास, कुदारन, तिवारीपुर तथा सोनारी का मुआवजा भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण अवशेष है ।

22–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अवध शुगर मिल लि0, हरगांव तथा दि सेकसरियाशुगर फैक्ट्री प्राइवेट लि0 बिसवां सीतापुर द्वारा चिमनियों में फिल्टर लगाए जाने की मांग

23–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि अवध शुगर मिल लि0, हरगांव, सीतापुर एवं दि सेकसरिया शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लि0, बिसवां, सीतापुर की चिमनियों से निकलने वाली राख से बिसवां व हरगांव के क्षेत्रवासी त्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन दोनों फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगाए जाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अवध शुगर मिल, हरगांव एवं दि सेकसरिया शुगर फैक्ट्री, बिसवां, सीतापुर चीनी मिलों द्वारा चिमनियों में फ्लाई एश अरेस्टर लग गए हैं । जो पूर्ण क्षमता से कार्य करते हैं । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेजों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की मांग

24–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गढ़वाल में अनेक राजकीय इण्टर कालेज ऐसे हैं, जहां छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या है ? यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति भी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

गढ़वाल में ऐसा कोई राजकीय इण्टर कालेज नहीं है जहां छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज की नगर क्षेत्र समिति, सिसवां बाजार की जर्जर सड़कों के प्रस्तावित अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

25–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज की नगर क्षेत्र समिति, सिसवां बाजार की जर्जर सड़कों के सुधार हेतु शासनादेश सं0–1918/23-सा0 नि0 अनु0-11-38(8)ई0/88, दिनांक 30 मार्च, 88 द्वारा रुपया 45,25,000 अनुदान धनराशि लो0 नि0 वि0 को इस शर्त के साथ अवमुक्त की गई थी कि समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आगणन लो0 नि0 वि0 द्वारा तैयार कराकर प्रस्तावित निर्माण कार्य की स्वीकृति शासन से लेकर स्वीकृत कार्यों को कराया जाय ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही वर्ष 92-93 में 9,00,000.00 रुपए धनराशि को अन्य क्षेत्रों में बिना उक्त समिति के जानकारी में लाए खर्च करके अनुदान धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार अन्य मदों में खर्च की गई धनराशि की जांच कराने और संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ-साथ नगर क्षेत्र समिति सिसवा बाजार को 9,00,000.00 (नौ लाख रुपए) वापस कराकर प्रस्तावित अधूरे कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

1992-93 में अन्य कार्यों पर व्यय किए गए रुपए 8,66,127.95 वर्तमान वित्तीय वर्ष में समायोजित कर प्रश्नगत कार्य पर व्यय हेतु उपलब्ध करा दिए गए हैं ।

जांच कर ली गई है । दोषी पाए गए अधिकारी को दण्डित करने का प्रकरण विचाराधीन है । कार्य वित्तीय वर्ष 94-95 में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्रीमती आशा कनौजिया, सहायक, अध्यापिका, रा0 कन्या इण्टर कालेज, पिहानी, हरदोई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में संशोधन

27–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती आशा कनौजिया, सहायक अध्यापिका, रा0 कन्या इण्टर कालेज, पिहानी, जनपद हरदोई में 30-4-92 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति पंजिका पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसकी सूचना प्रधानाचार्या द्वारा पत्रांक 160/92-93, दिनांक 1-5-92 द्वारा प्रेषित भी कर दी गई ? यदि हां, तो 30-4-92 का वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त योगदान तिथि पर किए गए हस्ताक्षर काटकर सेवापुस्तिका में तिथि में परिवर्तन कर देने का षड़यंत्र किया गया ? यदि हां, तो दोषी कौन हैं ? क्या मंत्री जी इस गम्भीर षड़यंत्र के लिए दोषी को दण्डित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

प्राप्त सूचनानुसार श्रीमती आशा कनौजिया, सहायक अध्यापिका वास्तव में दिनांक 1-5-92 को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हुई थीं । लेकिन उनके द्वारा पूर्ण सेवाओं का लाभ लेने हेतु दबाव डालकर 30-4-1992 की तिथि डलवाई गई, जो त्रुटिपूर्ण थी और जिसे बाद में मान्य नहीं किया गया । अतः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 30-4-92 के स्थान पर 1-5-92 संशोधित कर दी गई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासन की पूर्व अनुमति से पथकर वसूलने हेतु प्राइवेट निगोशिएशन के आधार पर पुलों का ठेका देने का प्राविधान

28–श्री तेज भान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलों पर पथकर वसूलने हेतु प्राइवेट निगोशिएशन के आधार पर पुलों का ठेका देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या दि0 31 अगस्त, 1987 को लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई शासनादेश इस आशय का निर्गत हुआ था, जिसके द्वारा प्राइवेट निगोशियेशन के आधार पर पट्टे न दिए जाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में देवता गधेरा तथा बरचूला पुल का ठेका 1992 में तीन वर्ष के लिए पथकर वसूली हेतु प्राइवेट निगोशिएशन के आधार पर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त शासनादेश के आधार पर ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुसार, उक्त ठेका सही रूप से दिया गया है ? यदि नहीं, तो ठेका प्राइवेट निगोशिएशन पर देने का औचित्य क्या था ? उक्त नियम विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के बारे में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या संदर्भित पुल के ठेके गलत ढंग से देने के संबंध में किसी अधिकारी पर इसका उत्तरदायित्व डालेंगे तथा उसे दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

शासन की पूर्व अनुमति से पथकर वसूलने के लिए प्राइवेट निगोशिएशन के आधार पर पुलों को ठेके पर देने का प्राविधान है ।

सन्दर्भित पुलों को नियम विरुद्ध ठेके पर देने के बारे में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, प्रतापगढ़ की सेवा निवृत्त अध्यापिकाओं के बकाया पेंशन भुगतान की मांग

29–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, प्रतापगढ़ की कोई ऐसी अध्यापिकाएं हैं जिन्हें सेवानिवृत्त हुए लगभग दो वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली है ? क्या यह सही है कि शासनादेश के अनुसार उन्हें छः माह के अन्दर पेंशन की प्रथम किश्त का भुगतान हो जाना चाहिए था ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपार जनपद मुजफ्फरनगर में गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति के छात्रों को प्रवेश दिलाए जाने की मांग

30–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय भारत इण्टर कालेज, छपार, जनपद मुजफ्फरनगर प्रबन्ध समिति द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किए सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उक्त स्थल पर चल रहा है ? क्या उसने मान्यता प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो छात्र-छात्राओं से प्रतिमाह अवैध धन की वसूली क्यों की जाती है ? क्या उक्त में सहशिक्षा (छात्र-छात्राओं) को कक्षा 10 तक प्रवेश बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कुछ को प्रवेश क्यों दिया गया ? क्या पढ़ने को उत्सुक गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य जाति के छात्रों को शासन प्रवेश दिलाए जाने के लिए प्रधानाचार्य/प्रबन्ध समिति को निर्देश देंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चीनी निगम द्वारा निगम की ग्यारह इकाइयों में वायु प्रदूषण संयंत्रों की स्थापना विषयक निविदा में निर्धारित शर्तों का विवरण

31–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सरकारी चीनी मिलों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने हेतु जो प्रस्ताव निविदा के रूप में दिनांक 15-9-93 को आमंत्रित किए गए थे, उनके आधार पर कुछ ऐसी फर्मों को उक्त महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित करने हेतु आदेश दिए गए हैं जो पूर्णतया अनुभवहीन हैं और अनुभवी फर्मों की अवहेलना की गयी है ? संदर्भित निविदा हेतु कौन सी शर्तें निर्धारित की गयी थीं ? किन-किन फर्मों की निविदाएं स्वीकार की गयीं ? उक्त फर्मों की योग्यता क्या थी एवं योग्यता व अनुभव के आधार पर उन फर्मों को क्रमशः कितने संयंत्रों के आदेश दिए गए हैं ? क्या उक्त प्रकरण की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चीनी निगम द्वारा निगम की ग्यारह इकाइयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की डिजाइन आपूर्ति एवं स्थापना के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा अनुभवी तथा प्रतिष्ठित पार्टीज से निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं । तकनीकी उप समिति तथा अनुशंसा समिति द्वारा अनुभव तथा तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्तता के आधार पर ही

अलग-अलग क्षमता के ब्वायलरों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरों को स्वीकृति किया गया तथा अनुभव एवं क्षमता का आंकलन करने के बाद विभिन्न आपूर्ति-कर्ताओं को आदेश दिए गए । इस प्रकार निगम द्वारा अनुभवी फर्मों की अवहेलना नहीं की गई ।

वायु प्रदूषण संयंत्रों की स्थापना के लिए केवल प्रतिष्ठित तथा अनुभवी पार्टीज से निविदायें टर्न की आधार पर मांगी गयी थीं । निविदा उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र के आधार पर स्वीकार की गयी थीं ।

तकनीकी क्रय उप समिति की संस्तुति के आधार पर निम्न चार फर्मों की निविदायें स्वीकार की गयीं :-

1-आर्क इण्डस्ट्रीयल प्रा0 लि0, दिल्ली ।
2-एस0 आर0 पर्यावरण इन्जी0 प्रा0 लि0, चण्डीगढ़ ।
3-एस0 रिशी इण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली ।
4-एम0 एम0 एस0 शुगर एण्ड पावर-इन्जी0 प्रा0 लि0, लखनऊ ।

तकनीकी उप समिति के द्वारा उक्त सभी फर्मों को निविदा के अनुसार योग्य पाया गया था । उक्त आधार पर प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में निगम को प्राप्त पुनरीक्षत न्यूनतम दर पर मै0 एस0 रिशी इन्टरप्राइजेज को 6 संयंत्र, मै0 आर्क-इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट प्रा0 लि0, नई दिल्ली को 4 संयंत्र, मै0 एस0 आर0 पर्यावरण इन्जी0 प्रा0 लि0 चण्डीगढ़ को 9 संयंत्र तथा मै0 एम0एम0एस0 शुगर एण्ड पावर इन्जी0 प्रा0 लि0, लखनऊ को 3 संयंत्र के आदेश दिए गए । प्रकरण आंचोपरांत निदेशक मण्डल द्वारा पूर्व में ही छाता फैक्ट्री के संबंध में वेट टाइप स्क्रबर के सम्बन्ध में जारी आदेश को निरस्त करने का निर्णय ले लिया गया है । अतः पुनः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जे0 बी0 इण्टर कालेज, गड़वार बलिया के प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची

32-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 बी0 इण्टर कालेज, गड़वार, बलिया में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची क्या है ? क्या कालेज की प्रबन्ध समिति ने 29-6-93 को एक प्रस्ताव द्वारा एक वरिष्ठ प्रवक्ता को कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्त किया है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ने अभी तक कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर को प्रमाणित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शाकिर अली-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई शाहगंज, जनपद जौनपुर में की गई नियुक्तियों का विवरण

33-श्री मोहम्मद अरशद खान-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई शाहगंज, जिला जौनपुर में पिछले दो महीनों में 189 व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है एवं कितने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के शाहगंज इकाई में तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक श्री आर0 सी0 भण्डारी द्वारा पूर्व से कार्यरत 187 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मान दिया गया जिसमें निम्न तालिका के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का विवरण दिया गया है :–

1	2		3		4		5
क्रम सं0	पिछड़े वर्ग		अनुसूचित जाति		अल्प संख्यक		सामान्य
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत			
1	121	64·71	17	9·09			
					जनजाति		कुल योग
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या		प्रतिशत
	3	1·60	46	24·60	–	–	187

श्री आर0 सी0 भण्डारी, सामान्य प्रबन्धक द्वारा न्यूतम वेतनमान दिये जाने में कोई नियमानुकूल प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ।

उ0 प्र0 लोक निर्माण के वित्तीय कार्यालयों में कार्यरत मेट, हेल्पर, बेलदारों की तैनाती का मानक एवं स्वीकृत पदों का विवरण

34–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय कार्यालयों (28वां वृत्त/चतुर्थ वृत्त/32वां वृत्त) के अन्तर्गत कितने मेट, हेल्पर बेलदार कार्यरत हैं ? उनकी तैनाती का मानक क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि हेल्पर, बेलदार, मेट के कितने पद वहां स्वीकृत हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इन वृत्तों के अन्तर्गत खण्डों में निम्नलिखित मेट, हेल्पर तथा बेलदार कार्यरत हैं :–

	28वां वृत्त	चतुर्थ वृत्त	32वां वृत्त
मेट	106	0	0
हेल्पर	2	0	
बेलदार	424	0	0

मार्गों के अनुरक्षण के लिये मेट तथा बेलदार की नियुक्ति के लिए मानक प्रमुख अभियन्ता द्वारा निम्नवत् निर्धारित हैं:-

क्रम सं0	मार्ग की किस्म	मेट/ प्रति कि0मी0	बेलदार प्रति कि0मी0	टिप्पणी
1-	7मी0 या उससे अधिक चौड़ा मार्ग बी0एम0/एसडीसी /मिक्सील हो चुका है।	1/20	5/20	
2-	लेपित मार्ग	1/20	7/20	
3-	3-7मी0 चौड़े पेन्टेड मार्ग	1/20	7/20	
4-	3-7मी0 चौड़े वाटर बाउन्ड मार्ग	1/15	8/16	
5-	कच्चे पर्वतीय मार्ग	1/15	8/16	जिस मार्ग पर सोलिंग है, उसे कच्चा माना जायेगा
6-	पहाड़ी अश्व मार्ग (सीमा-पगडंडियों को छोड़कर)	1/20	5/20	
7-	मैदानी कच्चे	1/20	9/20	वर्ष में केवल 9 माह के लिए।

वृत्तों में हेल्पर के पदों पर नियुक्ति के कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं हैं। पदों की स्वीकृत वृत्तवार नहीं की जाती है।

जनपद जौनपुर, खुज्जी मोड़ (डोभी) से महुआ-गाजीपुर मार्ग से ग्राम कछबन्ध (पूर्व) को जाने वाले लिंक मार्ग को पूर्ण कराए जाने की मांग

35-श्री सतीश भाटिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी मोड़ (डोभी) से महुआ-गाजीपुर मार्ग, जनपद जौनपुर कब स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त मार्ग से लिंक मार्ग जो ग्राम कछबन्ध (पूर्व) से होकर जा रहा है बाग सं0-1991 सड़क मार्ग में पड़ रहा है? उक्त बाग किसका है तथा किस जमीन पर है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के

निर्माण में बाग सं0–1991 के किनारे पश्चिम ओर पर ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर श्री नरेन्द्र देव सिंह पुत्र स्व0 जनार्दन सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा हटवा कर अधूरे सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? अभी तक निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत कार्य वर्ष 1982 में स्वीकृत हुआ था ।

जी हां ।

बाग श्री विरेन्द्र सिंह आदि का है लेकिन भूमि ग्राम समाज की है जिसमें कुछ आबादी है ।

जी हां ।

अवैध कब्जा हटाकर शेष मार्ग के निर्माण का कार्य दिनांक 1-8-94 को पूरा कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी में वित्तीय विहीन विद्यालयों की संख्या एवं वेतन वितरण अधिनियम का लाभ शिक्षकों को दिए जाने की मांग

36–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में कितने विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्राप्त है तथा इन वित्त विहीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कुल कितने अंशकालिक शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन अंशकालिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन वितरण का भी दायित्व निकट भविष्य में लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

61

399

जी नहीं ।

वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाने की शासन की नीति सम्प्रति नहीं है ।

म0नं0 128/188, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर के मालिक पर मकान विक्रय में कथित स्टाम्प चोरी के आरोप की जांच

37–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी व्यक्ति को मकान खरीदने के लिए स्टाम्प में छूट देने का कोई नियम है ? यदि हां, तो वह नियम क्या है ?

सरकार मकान नं0 128/188, एच ब्लाक, किदवईनगर, कानपुर जिसकी रजिस्ट्री हरिशंकर शुक्ला ने विजय प्रकाश आदि के पक्ष में की थी, लगभग 4 लाख रुपए के स्टाम्प कम लगाए हैं और 20 लाख रुपए के मकान की कीमत मात्र चार लाख पचास हजार रुपए दर्शायी गयी है ? क्या सरकार स्टाम्प चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और उपरोक्त मकान की रजिस्ट्री कैन्सिल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

किसी व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने पर उसे स्टाम्प शुल्क से छूट देने हेतु अलग से कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संबंधित विलेख को सब-रजिस्ट्रार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की संगत धारा के अन्तर्गत कलेक्टर को पूर्व में ही संदर्भित कर दिया है जिसके विरुद्ध नियमानुसार स्टाम्पवाद स्थापित करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मामला न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कानपुर नगर के समक्ष लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, लखनऊ में हिन्दी प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति का प्रकरण

38–श्री यशपाल आर्य तथा श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, लखनऊ में नियमानुसार 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने के परिप्रेक्ष्य में वहां के हिन्दी प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के संबंध में प्रकरण समस्त पूर्ण अभिलेखों सहित अनुमोदन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को माह नवम्बर, 1992 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक अनुमोदन न किए जाने के कारण क्या हैं एवं इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी उक्त अनुमोदन तत्काल किए जाने हेतु आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

अपूर्ण अभिलेख/पत्रजात प्राप्त होने के कारण अनुमोदन नहीं किया जा सका जिसके लिए प्रबन्धतंत्र उत्तरदायी है ।

वांछित अभिलेख प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा विकास खण्ड में कर्बन नदी तट पुल एवं खुर्जा नावर रोड तक सम्पर्क मार्ग बनवाने की मांग

39–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गांव बुढ़ैना रेलवे लाइन व कर्बन नदी के घिरे होने,

नदी पर पुल न होने व कोई रास्ता न होने के कारण अति दुर्गम है ? क्या यह सही है कि हर वर्ष कई बच्चे वहां रेलगाड़ी की चपेट में स्कूल जाते समय आ जाते हैं ? यदि हां, तो क्या ग्राम बुढ़ैना पर कदैन नदी पर पुल बनवाने व खुर्जा झाजर रोड तक लगभग 600 मीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग बनवाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

ऐसी कोई जानकारी विभाग में नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के जेवर टप्पल मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

40–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कस्बा जेवर में जेवर से टप्पल जाने वाली, टूटी-फूटी लगभग तीन सौ मीटर सड़क की मरम्मत कराने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

रख-रखाव मद में सीमित संसाधनों के बावजूद उक्त भाग की समुचित मरम्मत बराबर की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शाहजहांपुर नगर में सीतापुर मार्ग पर निवाजपुर के पास बाई पास मार्ग का निर्माण

41–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगर में सीतापुर मार्ग पर निवाजपुर के पास जो बाई पास मार्ग बनना प्रस्तावित है, उसमें उ0 प्र0 सरकार की ओर से अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त बाई पास बनने में क्या-क्या बाधाएं हैं तथा इसका कितना इस्टीमेट है ? इसको बनाकर कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है और आगणन भूतल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया जिस पर भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1994 में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

वर्तमान में बाईपास बनाने में कोई बाधा नहीं है । भारत सरकार ने भेजे गये आगणन पर 17.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ।

बाईपास का निर्माण कार्य पूरा किया जाना भारत सरकार से समुचित अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर है । अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जिला फतेहपुर के विकास खण्ड तेंदानी के ग्राम बंजानी स्थित माध्यमिक (जूनियर हाई स्कूल) में शिक्षकों की व्यवस्था

42–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बंजानी, विकास खण्ड तेंदानी, जिला–फतेहपुर में दो वर्ष पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाई स्कूल) बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा खोला गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वहां कक्षा 6, 7, 8 का अध्यापन कार्य मात्र एक अध्यापक से होता है ? क्या सरकार वहां नियमानुसार कम से कम पांच अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी नहीं ।

दो अध्यापक कार्यरत हैं ।

यह विद्यालय जिला योजनान्तर्गत खोला गया है । उक्त योजनान्तर्गत विद्यालय में केवल तीन अध्यापक ही अनुमन्य हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होने पर प्रोन्नति से एक और शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जनपद में काशी सहकारी चीनी मिल द्वारा किराये पर ली गयी गोदाम की भण्डारण क्षमता

43–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई ने जनवरी-फरवरी, 92 में वाराणसी शहर में किराए पर गोदाम लेकर चीनी रखी थी ? यदि हां, तो कितने गोदाम कितने रुपये प्रतिमाह किराये पर लिए गए तथा उसमें कितने दिनों तक चीनी रखी गयी ? उक्त गोदाम किस व्यक्ति का था तथा उसे कितना रुपया किराया दिया गया ? उक्त गोदाम में कितनी बोरी चीनी (कुन्तल) रखी गयी ? उक्त गोदाम में रखी चीनी किसको कब बेची गई ? क्या आज भी चीनी वहां पर है ? दिसम्बर, 93 से चीनी मिल के गोदाम में कितनी बोरी चीनी है तथा मिल के गोदामों की भण्डारण क्षमता क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनवरी-फरवरी, 92 में नहीं । वरन माह फरवरी, 93 में वाराणसी शहर में गोदाम किराये पर लेकर चीनी रखी गयी थी ।

दो गोदाम रु0 13,800 प्रति माह किराए पर लिए गए, जिसमें से जुलाई, 93 तक चीनी रखी गयी तथा दूसरे गोदाम में फरवरी, 93 से चीनी रखी गयी थी, जो अभी तक रखी हुई है ।

गोदाम यू0 पी0 स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, वाराणसी का था, जिसमें एक गोदाम माह फरवरी, 93 से माह जुलाई, 93 तक का किराया 13,800 प्रति माह की दर से रुपए 82,800 तथा दूसरे गोदाम का किराया रु0 13,800 प्रति माह की दर से रु0 2,07,712 भुगतान किया गया । इस प्रकार कुल रु0 2,90,512 किराए के रूप में भुगतान किया गया ।

23,500 (बोरी) कुन्तल चीनी रखी गयी ।

सूचना उक्त गोदाम में रखी गयी चीनी 105 व्यक्तियों को बेची गयी जिसकी सूची मा0 सदस्य तथा आवश्यकता पृथक से प्राप्त कर सकते हैं ।

जी हां, माह फरवरी, 93 में दूसरे गोदाम में रखी गयी चीनी अभी-अभी उक्त गोदाम में रखी हुई है ।

माह दिसम्बर, 94 तक नहीं वरन माह अगस्त, (दि0 10-8-94) तक मिल के गोदाम में 18,805 बोरी चीनी स्टाक में है । मिल के गोदाम की भण्डारण क्षमता प्रति गोदाम 40,000 कुन्तल की है ।

जनपद जौनपुर, विकास खण्ड, बदलापुर में धनश्यामपुर–जौलापुर मार्ग को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त पूर्ण कराने की मांग

44–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री तेजभान सिंह एवं श्री जगदम्बा सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अता0 प्र0 संख्या–23 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 कि0 मी0 लम्बाई की सड़क का मात्र 300 मीटर का लेपन कार्य किस सिद्धान्त/मानक के अन्तर्गत कराया गया है ? क्या यह सही है कि जनपद में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो इस सड़क की स्वीकृति के बाद नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पास की गई हैं और उनका लेपन कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है ? क्या उसके लिए धन उपलब्ध था ? क्या मंत्री जी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क को इसी वित्तीय वर्ष में जिला-योजना में स्वीकृत कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत कार्य का निर्माण स्वीकृत धनराशि को व्यय करके ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

इसकी स्वीकृति हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

विकास खण्ड बदलापुर जनपद जौनपुर में रामनगर–कृष्णापुर मार्ग को जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त पूर्ण किए जाने की मांग

45–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे सम0 के लिए निर्धारित श्री तेजभान सिंह एवं श्री जगदम्बा सिंह द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 संख्या-28 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सड़क का लेपन कार्य लगभग 2 या 3 वर्ष पूर्व में हुआ है ? यदि हां, तो क्या शेष 8 कि0मी0 के लेपन कार्य को जिला योजना में इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे ? यदि हां, तो कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या उक्त सड़क के आवागमन की सुविधा हेतु कंकरीट कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । 1.8 किमी0 लम्बे मार्ग के 1.00 किमी0 में लेपन का कार्य हुआ है ।

कार्य जिला योजना की प्रकृति का है, जिसकी स्वीकृति हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आगरा विश्वविद्यालय में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

46–डा0 राम बाबू हरित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत आरक्षण कोटा पूरा हुआ है ? शेष कोटे को पूरा करने के लिए क्या सरकार द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आगरा विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का तृतीय श्रेणी में 9.86 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में 18 प्रतिशत मात्र का आरक्षण पूरा हुआ है । रिक्तियां होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव की जानकारी

47–डा0 राम बाबू हरित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की असहमति को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना सेक्टर-बी में निर्मित व्यवसायिक केन्द्र के मध्य स्थित देशी शराब की दुकान को हटाने की मांग

48–श्री समर पाल सिंह–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में निर्मित किए गए व्यवसायिक केन्द्र के मध्य चल रही देशी शराब की दुकान (बारा बिरवा) को जनहित में तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु श्री रामा खेलावन आदि विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र माह मई, 1994 में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मुख्य मंत्री जी जनहित में उक्त देशी शराब की दुकान अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त दुकान कब तक स्थानान्तरित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह–

प्रश्न में इंगित पत्र, विधायक कोष्ठक मुख्य मंत्री कार्यालय एवं आबकारी विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत देशी शराब की (बारा बिरवा) दुकान उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के प्रथम खण्ड के प्रस्तर-328 के प्राविधानों के अनुसार उपयुक्त स्थल पर चल रही है । प्रश्नगत देशी शराब की दुकान के नियमानुकूल स्थल पर स्थित होने के कारण तथा राजस्व हित में इसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भू-विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में कारपेन्टर पद के वेतनमान में विसंगति को दूर करने की मांग

49–श्री तेजपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में कारपेन्टर के वेतनमानों में विसंगति दूर किए जाने के संबंध में श्री सतीश भाटिया, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 7 मई, 1994 वित्त सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कारपेन्टर के पद के पूर्व वेतनमान 230-385 को 1-7-79 से पुनरीक्षित कर 330-495 किया गया है । यह पुनरीक्षण पद की अर्हता के आधार पर है । उक्त पद के वेतनमान में विचारोपरान्त शासन द्वारा कोई विसंगति नहीं पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कारपेन्टर पद के पुनरीक्षित वेतनमान को शासन द्वारा निरस्त किया जाना

50–श्री तेजपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या 6378-467, दिनांक 15 मार्च, 1994 द्वारा कतिपय वेतनमानों में विसंगतियों के कारण नए वेतनमान स्वीकृत किए हैं ? क्या कारपेन्टर के पद का वेतनमान संशोधित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद की विसंगति दूर करने हेतु नए वेतनमान स्वीकृत किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिनांक 15-3-94 के आदेशों में कतिपय पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण बिना शासन की स्वीकृति के किया गया है, अतः कुल-सचिव के इन आदेशों को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्नगत कारपेन्टर पद के वेतनमान में विसंगति के बारे में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच में वर्ष 1993-94 में की गयी अस्थायी नियुक्तियों का ब्योरा

51–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच में वर्ष 1993-94 में आरक्षण से संबंधित शासनादेश का पालन अस्थाई नियुक्तियों के लिए किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वर्ष में नियुक्त आरक्षित कर्मियों का नाम क्या है तथा वह आरक्षण की किस श्रेणी में आते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 93-94 में जरवल रोड इकाई में कोई नई अस्थायी नियुक्तियां नहीं की गयी हैं, अतः आरक्षण संबंधी शासनादेश का पालन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई जरवल रोड बहराइच के मृतक कर्मचारी श्री राम जी विश्वकर्मा कर्मकार की विधवा को नियमतः तुर्त लाभ देते हुये सेवायोजित किया जाना

52–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच के सत्र, 1993-94 में श्री रामजी विश्वकर्मा नामक कर्मकार की मृत्यु बगास-कैरियर में फंसकर हो गई थी ? यदि हां, तो क्या इकाई में औद्योगिक सुरक्षा उपायों का अब पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृतक के

आश्रित को नियमतः सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि सेवा में लिया जायेगा तो कब तक ? क्या मंत्री जी उपरोक्त दुर्घटना के कारणों की जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निगम की इकाई जरवलरोड के पेराई सत्र 1993-94 में दिनांक 2-1-1994 को रात में लगभग 12 बजे ब्वायलर पर कार्यरत कर्मचारी श्री राम जी विश्वकर्मा की मृत्यु बगास एलीमेंटर की चैन में फंसकर हो गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक श्री राम जी विश्वकर्मा की विधवा को नियमतः समस्त हित लाभ देते हुये दिनांक 19-1-94 से सेवा में लिया गया है । दुर्घटना के कारणों की जांच निदेशक (कारखाना) के द्वारा कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत की जा चुकी है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम, इकाई जरवल रोड बहराइच में नियमित तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण

53–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड बहराइच में कितने नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने दैनिक वेतन कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है । उक्त इकाई को कुल कितने कर्मियों की आवश्यकता है ? क्या यह सही है कि इकाई में आवश्यकता से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1993-94 में अस्थायी कर्मियों की भर्ती मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा की गई है ? क्या उसमें विगत समय में कार्यरत तथा अनुभवी कर्मियों को प्राथमिकता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जरवल रोड इकाई में 610 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं इनमें से 234 नियमित स्थायी कर्मचारी तथा 376 मौसमी स्थायी कर्मचारी हैं । वर्तमान में 26 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है । इस स्तर की आधुनिकीकृत इकाई को 658 नियमित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । किन्तु सीजन में समय-समय पर आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी कार्य पर लगाये जाते हैं । वर्ष 1993-94 में अस्थायी कर्मचारियों की कोई भर्ती मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा नहीं की गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

जनपद सीतापुर में थाना रामपुर मथुरा के ग्रामों को महमूदाबाद तम्बौर मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जोड़ने की मांग

54—श्री गजाधर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला सीतापुर में थाना रामपुर मथुरा के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम कोदोरा, धमांड़ा, तपसी का पुरवा समीपवर्ती क्षेत्रों का विकास उक्त गांवों के पक्की सड़क द्वारा महमूदाबाद-तम्बौर मार्ग से न जुड़े होने के कारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत गांवों को महमूदाबाद—तम्बौर मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं । ऐसी स्थिति नहीं है ।

मार्ग जिला योजना की प्रकृति का है, अतः स्वीकृति हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता । जिला योजना की प्रकृति का होने के कारण ।

डिलरायां—पनवाड़ी मार्ग पर शहर डालमिन से शेरगढ़ घाट तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं लेपन कार्य

55—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिलरायां—पनवाड़ी मार्ग पर शहर डालमिन से शेरगढ़ घाट तक की सड़क का चौड़ीकरण हो चुका है — यदि हां, तो कब एवं किन अधिकारियों की देखरेख में ? क्या चौड़ीकरण में लेपन के दोनों कोट हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब और किन अधिकारियों की देखरेख में ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर चौड़ीकरण के कुछ भाग में प्रथम कोट का लेपन नहीं हुआ है ? क्या मार्ग के सम्पूर्ण भाग में लेपन का दूसरा कोट हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां. (कि0 मी0 308, 310, 323, 327, 329, 331 एवं 332) 7 कि0 मी0 में द्वितीय सतह लेपन को छोड़कर ।

चौड़ीकरण के कार्य 1992 तक श्री एम0 पी0 गौतम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, सर्वश्री आई0 पी0 शर्मा, जे0 डी0 गौतम एवं एस0 एन0 मिश्रा, सहायक अभियन्तागणों की देख-रेख में पूर्ण हुये ।

कि0 मी0 308, 310, 323, 327, 329, 331 एवं 332 को छोड़कर द्वितीय सतह लेपन तक कार्य अन्य सभी स्वीकृत कि0 मी0 में पूर्ण हो चुके हैं ।

उपरिलिखित अधिकारियों की देख-रेख में ।

जी नहीं ।

जी नहीं, उक्तवत् सात कि0 मी0 में छोड़कर । सुदृढ़ीकरण का कार्य शेष होने के कारण ।

जनपद जालौन के जगम्मनपुर से जमालपुर मार्ग पर औसतन एक मीटर ऊंची मिट्टी का कार्य आगणन के अनुसार न किये जाने की शिकायत

56—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के जगम्भनपुर मार्ग से जमालपुर तक कितने फुट ऊंची मिट्टी का कार्य आगणन के अनुसार है ? क्या यह सही है कि सड़क का 2/3 हिस्सा आस-पास के खेतों के लेंबिल से नीचा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैनी प्रसाद वर्मा—

जगम्मनपुर में जमालपुर मार्ग पर औसतन एक मीटर ऊंची मिट्टी का कार्य प्रस्तावित है ।

रिवाइन्स (बीहड़) क्षेत्र में उक्त मार्ग के स्थित होने के कारण अधिकांश भाग रिवाइन्स के ऊपरी तल से नीचा है परन्तु रिवाइन्स के निचले सतह से औसतन एक मीटर ऊंचा बनाया जाना प्रस्तावित है ।

जांच की आवश्यकता ही नहीं है ।

57—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जालौन के राजकीय विद्यालयों में कतिपय संवर्गों में कार्मिक के स्वीकृत पदों की संख्या तथा उन्हें शासनादेशों के अनुरूप कार्यरत न पाया जाना

58—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में बालक-बालिकाओं के संचालित राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चपरासी से लेकर प्रधानाचार्यों तक के कार्मिक शासन के आदेशों के अनुरूप कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उनकी तैनाती कर दी जायेगी ?

श्री शाकिर अली—

जनपद जालौन के प्रश्नगत राजकीय विद्यालयों में कतिपय संवर्गों के कार्मिक स्वीकृत पदों की संख्या के अनुरूप कार्यरत नहीं हैं ।

तैनाती की कार्यवाही गतिमान है ।

59—श्री जगदम्बिका पाल—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई बरवल रोड बहराइच में चीनी का पर्ता

60—श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई बरवल रोड, बहराइच का चीनी प्रतिशत क्रमशः वर्ष 1992-93 एवं वर्ष 1993-94 में कितना था?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई जरवल रोड के पेराई सत्र 1992-93 एवं 1993-94 में चीनी का पर्ता क्रमशः 8.00 एवं 8.60 प्रतिशत रहा है।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई जरवल रोड बहराइच में विगत 2 वर्षों में खरीदी गयी बगास के मूल्य की जानकारी देने की मांग

61–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच के सत्र, 1992–93 एवं 1993–94 में इकाई द्वारा कितने मूल्य की और कितनी बगास खरीदी गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई जरवल रोड, द्वारा वर्ष 1992-93 में रुपये 17.91 लाख मूल्य की 37.30 टन तथा वर्ष 1993-94 में रुपये 6.13 लाख मूल्य की 1307 टन बगास का क्रय किया गया है।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई जरवल रोड बहराइच के सत्र 92-93 में वाहनों पर डीजल/पेट्रोल पर व्यय धनराशि के विवरण की मांग

62–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच के सत्र, 1992–93 में वाहनों पर कितना डीजल/पेट्रोल का व्यय किया गया तथा लाग-बुक के अनुसार वाहन कितनी दूरी तक चले ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वाहनों की मरम्मत इत्यादि पर कितना धन खर्च किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, की इकाई जरवल रोड में वर्ष 1992-93 में वाहनों पर डीजल/पेट्रोल पर कुल रु0 1,53,543.00 व्यय हुआ। लाग बुक के अनुसार कार नं0 यू0 ए0 ई0 2787, जो 44828 किलोमीटर, जीप नं0 यू0 पी0 32-8078 जो 13185 किलोमीटर, जीप संख्या यू0 पी0 40-211 जो 41457 किलोमीटर एवं जीप संख्या यू0 जी0 एम0-691 जो 28004 किलोमीटर तथा जिप्सी संख्या 32-0183 जो 2400 किलोमीटर चली। वर्ष 92-93 में वाहनों की मरम्मत एवं रख रखाव पर कुल व्यय रुपया 1.07 लाख हुआ।

पिडरा कठिरांव मड़ियाहूं राजमार्ग वाराणसी–जौनपुर से पसिपाही खुर्द जमालपुर–मड़ियाहूं मार्ग को पक्का बनाने की मांग

63–श्री उदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिडरा कठिरांव मड़ियाहूं राजमार्ग वाराणसी-जौनपुर से निकलने वाले सरजू प्रसाद इण्टर कालेज, कठिरांव से जाकर पसिपाही, परमल पट्टी होते हुए पसिपाही खुर्द से जमालपुर-मड़ियाहूं मार्ग को जोड़ता है क्या उसका सर्वेक्षण कराकर इसे पक्का बनाने की स्वीकृति दी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । कार्य जिला योजना की प्रकृति का है, जिसके लिए जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

64–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर के जूनियर हाई स्कूल सोगरा के मृतक सहायक अध्यापक श्री राम बहादुर सिंह के आश्रितों को नियुक्ति एवं बकाये देयों के भुगतान की मांग

65–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के जूनियर हाई स्कूल, सोगरा में कार्यरत श्री राम बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक की मृत्यु दि0 1 अक्टूबर, 1993 को हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उनके पुत्र श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर को 23 नवम्बर, 1993 को आवेदन-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ? क्या उक्त मृतक की विधवा को देय पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री शांकर अली–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, ग्रेच्युटी देय नहीं है । शेष अनुमन्य देयों के सम्बन्ध में मृतक आश्रित श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने पेंशन बीमा प्रपत्र दि0 23-11-93 को प्राप्त किया है । किन्तु अभी तक पूर्ण करके नहीं दिया है ।

जनपद सुल्तानपुर लोक निर्माण विभाग के फैजाबाद-रायबरेली मार्ग पर कार्यरत मृतक मेट श्री राजनरायण यादव के आश्रितों की नियुक्ति एवं बकाए देयों के भुगतान की मांग

66–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर लोक निर्माण विभाग के फैजाबाद-रायबरेली मार्ग पर कार्यरत श्री राजनरायण यादव, मेट की मृत्यु सेवारत रहने की स्थिति में दिनांक 17-10-85 को हो गयी थी ? यदि हां, तो उसके पुत्र श्री हौसला प्रसाद को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दे दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में वह सेवारत है ? यदि नहीं, तो उसे सेवा में कब से तथा किन कारणों से पृथक कर दिया गया ? क्या उसे पुनः सेवा में लिए जाने के आदेश प्रदान करेंगे ? क्या उक्त मृतक का कोई अवशेष धन, बीमा, ग्रेच्युटी आदि भुगतान होना अवशेष है ? यदि हां, तो इसे अब तक न देने का क्या कारण है ? कब तक उक्त भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । वह कार्य प्रभारित मेट के पद पर कार्यरत थे ।

जी नहीं ।

जानकारी नहीं है ।

उन्हें दैनिक वेतन पर कार्य पर रखा गया था, आवश्यकता न रहने पर उन्हें 9/88 से पृथक किया गया ।

जी नहीं ।

बीमा का भुगतान शेष है ।

इनका भुगतान जीवन बीमा निदेशालय द्वारा कुछ आपत्तियों के निराकरण हेतु रुका हुआ है ।

जीवन बीमा निदेशालय, लखनऊ से बीमा की धनराशि प्राप्त होने पर यथासमय भुगतान कर दिया जायेगा ।

डेरापुर वि0 स0 क्षेत्र कानपुर देहात में दिसम्बर, 93 से मई, 94 की अवधि में लो0 नि0 वि0 द्वारा किए गए सड़कों के निर्माण कार्य का विवरण

67—श्री राम दास पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 93 से मई, 94 तक कितनी सड़कों का निर्माण डेरापुर विधान सभा क्षेत्र कानपुर देहात में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? चालू नए वित्तीय वर्ष में डेरापुर विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें तथा पुल आदि के निर्माण की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

डेरापुर विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नगत अवधि में कुल 10 सड़कों का निर्माण कराया गया जिसके अन्तर्गत एक पुलिया, 1.80 किमी0 सोलिंग, 1.80 किमी0 इण्टर कोट, 3.50 कि0मी0 टाप कोट, 6.80 कि0मी0 प्रथम सतह लेपन, 11.90 कि0मी0 द्वितीय सतह लेपन कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मार्गों में से 8 पर कार्य जारी रखने तथा एक अन्य मार्ग पर कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बस्ती की खलीलाबाद शुगर मिल बन्दी के कारणों की जानकारी एवं स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

68—श्री राम प्रकाश—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की खलीलाबाद शुगर मिल 2 वर्षों से बन्द होने के क्या कारण हैं ? क्या वहां पर स्थाई कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है ?यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वहां के अस्थाई कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बस्ती जनपद की खलीलाबाद चीनी मिल में पेराई क्षमता में विस्तार हेतु पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के कारण पेराई सत्र 1991-92 से 1993-94 तक गन्ने की पेराई का कार्य नहीं हुआ है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं है ।

चीनी मिल से प्राप्त सूचना के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को जब भी आवश्यकतानुसार कार्य पर लिया जाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य का नियमित रूप से भुगतान होता है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

लोक निर्माण सचिव, शाखा, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ में कर्मचारियों का स्थायीकरण

69–श्री राम प्रकाश–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-62 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि किस सेवा नियमावली, नियम व शासनादेश व अधिसूचना संख्याओं के किस नियम व धारा के अन्तर्गत प्रश्नगत पदों पर स्थाईकरण आवश्यक नहीं है ? क्या सेवा नियमावली, नियम व शासनादेश व अधिसूचना संख्याओं की प्रतिलिपि उत्तर के साथ सदन में उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के पत्र संख्या 2149 सी0टी0 ई/23-पी0डब्लू0डी0/स्था/1993, दिनांक 01-3-1993 में क्या निर्णय लिया जा चुका है ? क्या संस्तुति के आधार पर नामांकित कर्मचारियों का स्थाईकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अर्ध0 पत्र संख्या 13/9/90-का-1-93, दिनांक 20-7-93 के अनुसार सेवा-नियमावली का प्रस्थापन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उ0 प्र0 राज्य व सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम–5 के उपनियम-एक के अन्तर्गत ।

उ0 प्र0 राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है, उसमें नियम देखे जा सकते हैं ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ का उक्त पत्र उनका एक प्रस्ताव था, जिस पर शासन के निर्णय से उन्हें अवगत कराया जा चुका है । नियमानुसार उक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के शिवगढ़, गौरा, मगरौरा एवं पट्टी में विकास खण्ड स्तर पर कन्या इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना की योजना

70–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र बीरापुर के विकास खण्ड शिवगढ़, गौरा, मगरौरा एवं पट्टी में विकास खण्ड स्तर पर कन्या इण्टरमीडिएट कालेज बनाये जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जाकिर अली–

जी नहीं ।

सम्प्रति कोई योजना नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के बीरापुर वि0 सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय स्थापन की मांग

71—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद के बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में कोई महाविद्यालय स्थापित नहीं है ? क्या सरकार ने बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर महाविद्यालय खोले जाने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बापू इण्टर कालेज सलेमपुर देवरिया में शासन द्वारा मा0 उच्च/उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन की कार्यवाही

72—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बापू इण्टर कालेज सलेमपुर, देवरिया की प्रबन्ध समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को नकार कर, मनमाने तरीकों से प्रधानाचार्य के पद पर अवैध तदर्थ नियुक्ति जारी रखते हुए वरिष्ठतम् प्रवक्ताओं को उससे वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो इस मनमाने कृत्यों को रोकने तथा मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन के लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री शाकिर अली—

जी नहीं ।

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के अनुपालन की समस्त प्रभावी कार्यवाही की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अहमद अली, सेवा निवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के अवशेष देयों के भुगतान की मांग

73—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के सी0 एस0 एन0 कालेज, लखनऊ रोड के सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष श्री अहमद अली के अवशेष देयों क्रमशः 10 प्रतिशत अवशेष पी0 एफ0 धनराशि का, वेतन निर्धारण एरियर, सामूहिक बीमा योजना धनराशि का भुगतान अभी तक न किये जाने के कारण क्या है ? उपरोक्त समस्त अवशेष धनराशि का भुगतान कब तक उन्हें करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कार्य में विलम्ब का उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री अहमद अली, सेवा निवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष, सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के अवशेष देयों का भुगतान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके विरुद्ध रु0 1,42,592.61 के पुस्तकों की वित्तीय अनियमितता की जांच चल रही है। सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उनके महाविद्यालय में उपस्थित न होने के कारण नहीं हो पा रहा है।

जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त तथा श्री अहमद अली के निर्दोष पाये जाने पर उनके अवशेष देयों का भुगतान सम्भव हो सकेगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डेरापुर विधान सभा क्षेत्र कानपुर देहात के कहोजारी मल्लाहन टोला से मुरलीपुर रोड पर रिन्द नदी पुल बनाये जाने की मांग

74–श्री राम दास पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेरापुर विधान सभा क्षेत्र कानपुर देहात के अन्तर्गत कहोजारी मल्लाहन टोला से मुरलीपुर तक जाने वाली रोड पर रिन्द नदी पर सरकार की पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रोजेक्ट मैनेजर निर्माण निगम, बलिया के विरुद्ध कथित अनियमितताओं की जांच व उन्हें दण्डित करने की मांग

75–श्री मुक्तिनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण निगम द्वारा प्रतिमाह लगभग 6 हजार रुपया का बाउचर फर्जी निकाला जाता है जो गार्डों व सुरक्षा के लिए चौकीदारों को दिखाकर पेमेन्ट लिया जाता है, जबकि ऐसे कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए प्रोजेक्टमैनेजर, निर्माण निगम, जनपद बलिया को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं। सुरक्षा का कार्य हेतु नियत वेतन पर रजिस्टर्ड बाह्य सुरक्षा एजेन्सियों से गार्डों की सेवायें ली गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम, जनपद बलिया द्वारा बैरिया तहसील भवन निर्माण संबंधित अनियमितताओं की जांच तकनीकी संपरीक्षक प्रकोष्ठ से कराने के शासकीय आदेश

76–श्री मुक्तिनाथ–

क्या मंत्री निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम, जनपद बलिया द्वारा बैरिया तहसील कब बनवाई गयी है और किस अधिकारी/कर्मचारी की देख-रेख में बनी है ? क्या यह सही है कि उक्त बिल्डिंग इस समय जर्जर हो गई है और भवनों में दरारें पड़ गई हैं तथा उसकी चाहरदीवारी आंधी से कई बार गिर चुकी है ? क्या यह सही है कि उक्त भवन में सही मानक के अनुसार सामग्री नहीं लगाई गई है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए कार्य में शिथिलता व अनियमितता बरतने वाले अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व प्रोजेक्ट मैनेजर को दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद बलिया स्थित बैरिया तहसील भवन का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा 1-5-91 को प्रारम्भ किया गया जो अभी निर्माणाधीन है । उक्त तहसील का निर्माण कार्य श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव, परियोजना प्रबंधक के पर्यवेक्षण में कराया जा रहा है ।

जी नहीं । निर्माण के समय तेज आंधी के कारण बाउन्ड्रीवाल दो बार जरूर गिरी है ।

जी नहीं ।

इसकी जांच तकनीकी सम्परीक्षक प्रकोष्ठ से कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

पहाड़ों पर, शिक्षा विभाग में भी सेवाकर्मियों से स्थानान्तरण हेतु विकल्प स्थान का मांगा जाना

77–श्री समरपाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहाड़ों पर विभिन्न विभागों में सेवारत सेवाकर्मियों को उनके स्थानान्तरण के संबंध में उन्हीं से कुछ विकल्प स्थान मांगे जा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग में विकल्प स्थान न मांगे जाने का क्या कारण है ?

श्री शाकिर अली–

जी, नहीं । शिक्षा विभाग में भी स्थानान्तरण हेतु विकल्प स्थान मांगे जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल सेवानिवृत्त कैशियर, देवनागरी पालीटेकनिक कालेज, मेरठ को, शेष देयों की भुगतान की मांग

78–श्री अमित अग्रवाल–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, जो देवनागरी पालिटेक्निक कालेज, मेरठ से कैशियर पद पर से दिनांक 21-1-1982 को सेवानिवृत्त हुए थे, को पेंशन भुगतान तथा भविष्य निधि भुगतान 12 वर्ष समाप्ति के बाद भी क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार श्री वेद प्रकाश अग्रवाल को भविष्य निधि का भुगतान पिछली पेंशन राशि तथा आगामी पेंशन सुचारु रूप से दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, जो देवनागरी पालीटेक्निक कालेज, मेरठ से कैशियर के पद से दिनांक 21-1-82 को सेवानिवृत्त हुए थे, को शासनादेश संख्या–511/18-व-387(एम) ई डी/78, दिनांक 13-2-80 में उल्लिखित शर्तें पूरी न करने के कारण पेंशन देय नहीं थी । शासनादेश दिनांक 13-2-80 की शर्तें पूरी न करने के कारण भविष्य निधि की कटौती न होने के कारण उसके भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ0 प्र0 शासन द्वारा सांसदों के समान विधायकों को निर्वाचन क्षेत्रवार धनावंटन के प्रस्ताव की जानकारी

79–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन भी सांसदों के समान विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास एवं जनहित कार्यों के हेतु धनराशि आवंटित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस प्रकार निर्वाचन क्षेत्रवार धनावंटन का कोई विचार नहीं है ।

ग्राम परसिया, ब्लाक आसफपुर, जनपद बदायूं में जिला परिषद से सम्बन्धित जूनियर हाई स्कूल की कृषि योग्य भूमि के आय-व्ययक का विवरण दिये जाने की मांग

80–श्री दया सिन्धु संखधार–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम परसिया, ब्लाक आसफपुर, जिला बदायूं में जिला परिषद, बदायूं से सम्बन्धित जूनियर हाई स्कूल स्थापित है ? क्या स्कूल के पास ही काफी कृषि योग्य भूमि है ? यदि हां, तो क्या इसकी आय प्रति वर्ष जमा होती है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त धन का उपयोग विद्यालय के हित में होता है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया गया है ? कितना धन वर्तमान में उक्त आय का शेष है ? भविष्य में उक्त धन का उपयोग विद्यालय के हित में होता रहे, इसके लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी हां । 8-83 एकड़

जी हां, विद्यालय के पासबुक खाता संख्या 58175 पोस्ट आफिस बिसौली ।

जी हां ।

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि
1989	84–50
1990	20–00
1991	163–40
1992	489–20
1993	58–00
योग	824–10
रुपयाँ	1,50,801–85

उक्त धन के व्यय हेतु विभागीय नीति एवं नियम पूर्व से निर्धारित हैं, तदनुसार व्यय जनपदीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ।

ग्राम पुरोहित खेड़ा, विकास खण्ड बिसौली जनपद बदायूं में चकबन्दी विभाग द्वारा गाटा सं0 359 पर स्कूल भवन बनाया जाना

81–श्री दया सिन्धु शंखधार–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण, चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़ी गयी स्कूल की भूमि पर ही बनाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?ग्राम पुरोहित खेड़ा, विकास खण्ड बिसौली, जिला बदायूं में चकबन्दी विभाग द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् छोड़ी गयी स्कूल के लिए भूमि संख्या-352 पर तथा तहसीलदार, बिसौली द्वारा ग्रामवासियों के बहुमत द्वारा स्कूल भवन निर्माण, गाटा संख्या-352 पर ही कराने की आख्या के उपरान्त क्या गाटा संख्या-352 पर कराया जायेगा यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाटा संख्या-352 स्थल विवादित हो जाने के कारण जिलाधिकारी/तहसीलदार/परगनाधिकारी बिसौली से आख्या मांगी गयी । उन्होंने गाटा सं0-359 उपयुक्त पाया । अतः गाटा सं0-359 पर भवन निर्माण कराने के आदेश मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिये गये अतः गाटा सं0-359 पर भवन निर्माण कराया जाना है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक/प्रधानाचार्य, जी0 आई0 सी0 बदायूं द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच क्षेत्रीय सचिव, मा0 शि0 परि0 क्षे0 का0 बरेली द्वारा प्रचलित

82–श्री दया सिन्धु शंखधार–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1994 की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन हेतु निर्धारित संख्या, परिषद् द्वारा बदायूं जनपद में नियुक्त अध्यापकों को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मूल्यांकन कराने में मूल्यांकन अवधि के उपरान्त भी कुछ अन्य अध्यापकों को उत्तर पुस्तिकायें देकर उन्हें लाभ पहुंचाने की भी अनियमितताएं बरती गयी हैं ? क्या परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों के उपस्थित रहते हुए भी, जिला विद्यालय निरीक्षक/प्रधानाचार्य, जी0 आई0 सी0, बदायूं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने विद्यालय के शिक्षकों को परीक्षक के रूप में नियुक्त करके लाभ पहुंचाया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी के कृत की जांच कराके दण्डित कराने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शाकिर अली–

प्रकरण की जांच क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली से करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

वित्त सेवायें अनु0 सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत स्वर्गीय श्री हरिशंकर की माता को उनके समस्त बकाये के भुगतान सम्बन्धी शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

83–श्री महावीर सिंह (बिजनौर)–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री हरिशंकर पुत्र स्व0 श्री प्रभु दयाल, निवासी मार्टिन पुरवा, मं0 नं0 2/61, हजरतगंज, लखनऊ विधान भवन सचिवालय में वित्त सेवायें अनु-4 में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या उनकी मृत्यु दि0 24-11-1982 को हो गयी थी ? यदि हां, तो उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी माता श्रीमती यशोदा को आज तक पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी तथा अन्य भुगतान सम्बन्धी, भुगतान प्राधिकार पत्र जारी न करने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी जांच कराकर स्व0 श्री हरिशंकर की माता को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन दिलाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

1–मृतक सरकारी सेवक की माता को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है ।

2–श्रीमती यशोदा देवी को ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 26-10-83 को रु0 2950 की धनराशि का प्राधिकार पत्र मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ को भुगतान किये जाने हेतु जारी कर दिया गया था किन्तु किन्हीं कारणोंवश श्रीमती यशोदा देवी उपर्युक्त ग्रेच्युटी की धनराशि मुख्य कोषाधिकारी से नहीं प्राप्त कर सकीं तथा शासन को दिनांक 7-4-89 को सूचित

किया कि उपर्युक्त प्राधिकार पत्र संबंधी समस्त कागजात मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ द्वारा महालेखाकार, उ0प्र0 को वापस कर दिये गये हैं । इस सूचना के आधार पर दिनांक 8-5-89 को शासन द्वारा पुनः महालेखाकार से उक्त ग्रेच्युटी के भुगतान संबंधी प्राधिकार पत्र तुरन्त जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था जिसके संबंध में महालेखाकार द्वारा दिनांक 31-12-90 के पत्र में शासन से कुछ सूचनायें मांगी गई थी जोकि शासन के पत्र दिनांक 7-3-91 द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी गई थी । अब महालेखाकार द्वारा दिनांक 9-8-94 को रु0 2950 की ग्रेच्युटी की धनराशि के भुगतान संबंधी प्राधिकार पत्र की द्वितीय प्रति मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ को पुनः जारी कर दी गयी है, जिसका भुगतान मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त करने के लिए श्रीमती यशोदा देवी को भी सूचना दी गयी है ।

3—उत्तर प्रदेश राज्य सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 25,829.20 पैसे की धनराशि के भुगतान सम्बन्धी चेक संख्या ए/53-577948 दिनांक 7-2-83 को श्रीमती यशोदा देवी को दिया जा चुका है ।

4—जी0 पी0 एफ0 2,667.00 रु0 दिनांक 14-9-83 को श्रीमती यशोदा देवी को भुगतान किया गया ।

5—श्रीमती यशोदा देवी को अन्य कोई देनदारी शेष नहीं है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के कढ़ली चांद समन्द व मेरठ के मंदवाड़ी आदि गांवों के मध्य नागिन नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

84—श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर के कढ़ली चांद समन्द तथा जनपद मेरठ के मंदवाड़ी आदि गांवों के बीच नागिन नदी पर पुल न होने के कारण दोनों जनपदों के लगभग 60—70 गांवों की जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का सर्वे करा चुकी है ? क्या अधिशासी अभियन्ता मुजफ्फरनगर के द्वारा लगभग 22 लाख रुपये का इस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस पुल का निर्माण कब तक आरम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित स्थल से लगभग 3.00 किमी0 पर पुल है ।

85—श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया—

[2सरे बुध में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थगनादेश]

जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली से जसौला-चांद-समन्द मार्ग पर सड़क बनाये जाने की मांग

86—श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली से जसौला-चांद-समन्द मार्ग जो कि लगभग 9 कि0 मी0 लम्बा है तथा जिस पर करीब 70–75 गांव पड़ते हैं सड़क न होने के कारण क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को राज्य योजना में शामिल करके बनवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

जी नहीं ।

मार्ग जिला योजना की प्रकृति का है ।

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के इराक इकाइयों में कार्यरत बोनस की पात्रता वाले समस्त कर्मिकों के प्रबन्ध निदेशक के आदेशानुसार बोनस का भुगतान किए जाने की सूचना

87—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमाशंकर श्रीवास्तव, 509/9, पुराना हैदराबाद, लखनऊ ने उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0 लखनऊ की इराक शाखा की यूनिट नं0 तृतीय में दिनांक 19-5-1981 से 27-6-82 तक और यूनिट नं0 षष्टम् में दिनांक 28-6-82 से 10-4-84 तक इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्य किया है ? यदि हां, तो श्री रमाशंकर श्रीवास्तव को किस-किस वर्ष कितनी-कितनी (इराकी दीनार) इराक की मुद्रा में बोनस दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक का कुल कितना बकाया बोनस का भुगतान निगम द्वारा दिया जायेगा तथा कब कितने दीनार प्रतिमाह वेतन पाने वाले इराक शाखा के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान निगम द्वारा दिया जा चुका है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

इराकी दीनार में बोनस का भुगतान किसी भी वर्ष में नहीं किया गया है ।

श्री श्रीवास्तव संविदा श्रमिक थे और संविदा श्रमिकों को अनुबंध पत्र के अनुसार बोनस अनुमन्य नहीं था ।

सेतु निगम के इराक इकाइयों में कार्यरत बोनस की पात्रता वाले समस्त कर्मिकों को, प्रबन्ध निदेशक के आदेश संख्या-162/सचिव/एसडीसी/91, दिनांक 4-4-91 के अन्तर्गत, बोनस का भुगतान निगम द्वारा दिया जा चुका है ।

अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई–बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की जांच टी0 ए0 सी0 से कराये जाने की मांग

88–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई-बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में मोतीगंज से भारत भारी मार्ग पर पत्थर की आपूर्ति कम मात्रा में की गयी तथा सड़क पर गिट्टी भी कम बिछायी गयी है ? क्या सेवा में मधुनगर मार्ग पर जवाहर रोजगार योजना के धन से निर्माणाधीन सड़क पर ट्रैक्टर द्वारा गिट्टी का कार्य कराया गया तथा फर्जी लेबरों का नाम भरकर भुगतान लिया गया है ? क्या बांसी-डुमरियागंज मार्ग से बधमरा मार्ग पर कम मात्रा में जरवा पत्थर की आपूर्ति की गयी है ? क्या फर्जी नवीनीकरण विभागीय ठेकेदारों द्वारा कराया गया तथा फर्जी भुगतान ठेकेदारों के नाम किया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त सड़कों के निर्माण कार्य में जो अनियमितताएं बरती गयी उसका भौतिक सत्यापन टेक्निकल, आडिट सेल (टी0ए0सी0) द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी, नहीं । स्वीकृत मार्ग के चैनेज 400 से 610 तक भूमि विवादग्रस्त होने के कारण गिट्टी नहीं बिछाई गयी ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

चूंकि प्रश्नगत कार्यों में कोई अनियमितता नहीं की गयी है, अतः टी0 ए0 सी0 से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री विश्वनाथ सिंह, शिविर सहायक कार्या0 जि0 वि0 निरीक्षक सिद्धार्थनगर, के विरुद्ध समस्त शिकायतों की जांच उच्च स्तरीय संयुक्त समिति से कराके दण्डित किए जाने की मांग

89–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह, शिविर सहायक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर के विरुद्ध लिखित शिकायती-पत्र जो मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 को पंजीकृत डाक सं0-0825 द्वारा दिनांक 24-3-94 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? तब से अब तक उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र शासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए ? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी के विरुद्ध समस्त शिकायती-पत्रों के आधार पर कोई उच्च स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा जांच करवा कर उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती में दिलेश्वरी इण्टरमीडिएट कालेज, रुधौली में विज्ञान की मान्यता दिए जाने की मांग

90—श्री अमर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 93 में दिलेश्वरी इण्टरमीडिएट कालेज, रुधौली, जनपद बस्ती में विज्ञान की मान्यता हेतु सारी औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् भी अभी तक विज्ञान की मान्यता प्रदान नहीं की गई है ? क्या उक्त विद्यालय में विज्ञान की मान्यता शीघ्र प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली—

जी नहीं । वांछित प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने के कारण इण्टर वैज्ञानिक वर्ग अतिरिक्त की मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अस्वीकृत की है ।

जनपद मुरादाबाद के माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ द्वारा नार्मल स्कूल में शिक्षा भवन बनवाने की योजना की जानकारी

91—श्री समर पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ, जनपद मुरादाबाद को नार्मल स्कूल में शिक्षा भवन बनवाने का कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी, मुरादाबाद को अब से विगत दो वर्ष की अवधि में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिक्षा भवन का निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश के तृतीय श्रेणी कर्मचारी के स्थानान्तरण की नीति की जानकारी

92—श्री समर पाल सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश में तृतीय श्रेणी, अल्पवेतन भोगी कर्मचारी, लिपिक वर्ग का स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में या मण्डल में किसी नियम नीति से किया जा रहा है ? क्या अन्य विभागों में लिपिक वर्ग का स्थानान्तरण बाहर जनपद में नहीं किया जाता है ? यदि इस विभाग के लिपिकों के पदों को संवेदनशील मानकर स्थानान्तरण किया जा रहा है, तो किस नियम के अन्तर्गत इस विभाग के लिपिक पद संवेदनशील है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

स्थानान्तरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत किया जाता है । शासन के स्थानान्तरण नीति के अनुसार समूह "ग" के संवर्ग के सदस्यों का स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किया जा सकता है । निबंधन लिपिक का प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने के कारण इनका स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में शासन की नीति के अनुसार किया जाता है ।

शासन की नीति के अनुसार मण्डल व प्रदेशीय स्तर का संवर्ग होने पर वर्ग "ग" के कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किया जाता है ।

निबन्धन लिपिक के पद प्रदेश स्तरीय तथा संवेदनशील होने के नाते एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किया जाता है । पद की प्रकृति को देखते हुए प्रशासकीय विभाग द्वारा निबन्धन लिपिक पद को संवेदनशील माना गया है ।

आशलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीपरपुर, सुल्तानपुर की स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा कार्यालय की आडिट रिपोर्ट की आख्या की जानकारी एवं कृत कार्यवाही

93–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आशलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीपरपुर, सुल्तानपुर की स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा कार्यालय, सुल्तानपुर की वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 की आडिट रिपोर्ट की आपत्ति संख्या-12 क्या है ? क्या सरकार ने उक्त आडिट रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही अब तक की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी सुल्तानपुर को कथित प्रेषित पत्र एवं तत्संबंधी ग्रामीण बैंक शाखा शाहगढ़ (सुल्तानपुर) द्वारा निर्गत चेक का विवरण एवं जांच आदेश

94–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, सुल्तानपुर को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता व बेसिक शिक्षाधिकारी को पृष्ठांकित श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री रामफेर सिंह का दिनांक 12-7-92 का रजिस्टर्ड पत्र, जिसमें चेक संख्या-19/5320, दिनांक 5-2-90 रु0 1198.00 शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, शाहगढ़, जिला सुल्तानपुर को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त चेक किसके नाम से खाते में आहरित होना था ? क्या उसके खाते में धन जमा हुआ ? यदि नहीं, तो किसके खाते में धन जमा हुआ है ? उपरोक्त राशि एस0 टी0 ओ0, गौरीगंज के यहां से किसने प्राप्त की ? क्या सरकार सारा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

उक्त संदर्भित पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर में शिक्षा निदेशालय की आख्यानुसार पत्र उपलब्ध नहीं है । जांच कराई जा रही है ।

संबंधित चेक श्री रामफेर सिंह भूतपूर्व प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला किटियाही के नाम में एकाउन्ट पेई निर्गत किया गया था जिसे श्री रामफेर सिंह, ने स्वयं प्राप्त किया है ।

विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

प्रदेश के आगरा महानगर में लाटरी व्यवसाय के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या की जानकारी तथा लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

95–डा0 राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आगरा महानगर में लाटरी व्यवसाय के कारण अब तक कितने व्यक्ति आत्महत्या कर चुके हैं ? क्या सरकार जनहित में इसे बन्द करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आगरा महानगर में लाटरी खेलने के कारण एक व्यक्ति द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 1994 को आत्महत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है ।

निजी लाटरियों को बन्द करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है किन्तु राजकीय लाटरियों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मा0 उच्चतम न्यायालय के लाटरियों के बारे में दिनांक 21-4-94 के निर्णय में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार अन्य राज्यों द्वारा संचालित लाटरियों के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती । अतएव केवल उ0 प्र0 सरकार की लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने से समस्या का कोई हल नहीं होगा । साथ ही राज्य लाटरियों से सरकार को पर्याप्त आय भी हो रही है । अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य लाटरियों को प्रतिबंधित किया जाना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मुरादाबाद के ए0 के0 जी0 इण्टर कालेज, जलालपुर धना में घोर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता के संबंध में शिकायत तथा की गयी कार्यवाही की जानकारी

96–श्री समर पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ए0 के0 जी0 इण्टर कालेज, जलालपुर धना में घोर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सतीश चन्द्र शर्मा, ग्राम नया गांव, पोस्ट खासपुर, जिला मुरादाबाद ने रजिस्टर्ड-पत्र द्वारा दिनांक 9-2-1993 को कोई शिकायत श्री राधेश्याम कौशिक, तत्कालीन मंडलायुक्त, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद को की है ? यदि हां, तो उस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के जनपदों में ब्लाक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय एवं पद स्थापित किए जाने की योजना की जानकारी

97–श्री मोहर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा घोषित ब्लाक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय एवं पद कब तक स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

98–श्री मोहर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सहारनपुर में हरोड़ा विधान सभा की अधिकांश कच्ची सड़कों व लिंक मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी

99–श्री मोहर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सहारनपुर का हरोड़ा विधान सभा क्षेत्र सड़कों के मामले में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सम्प्रति कितने मार्गों का निर्माण हो रहा है ? वर्ष 1994-95 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने लिंक सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद की अन्य विधान सभा क्षेत्रों में मार्गों की लम्बाई की तुलना में हरोड़ा को अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1994-95 की जिला योजना के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में 4 लिंक मार्गों को लेपन स्तर तक निर्माण करने हेतु प्रस्तावित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में गोमती नदी पर सीतापुर रोड से जोड़ने वाले पुल को बनाए जाने की मांग

100–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी पर जनपद हरदोई तथा सीतापुर से जोड़ने वाले घाट के पुल का शिलान्यास वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 1990 में किया गया था परन्तु इस पर अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस पर कोई शीघ्र कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत सेतु का शिलान्यास वर्तमान मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 24-2-91 को किया गया था और इस सेतु का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है ।

जनपद सहारनपुर स्थित बिगड़ी चीनी मिल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की खरीद में हुई अनियमितता की जांच की मांग

101–डा0 माम चन्द्र लाम्बा–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर स्थित बिगड़ी चीनी मिल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की खरीद में गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं ? क्या यह सही है कि पुरानी मिल के सामान को ही पुनः प्रयुक्त करके नये सामान की खरीद होना अभिलेखों में दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मिल के अन्दर हुए निर्माण कार्यों की जांच करायेगी ? क्या सरकार दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में बड़गांव मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

102–डा0 माम चन्द्र लाम्बा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में बड़गांव मार्ग की सड़क का काफी हिस्सा पक्का हो चुका है ? क्या यह सही है कि उसका 5-6 कि0मी0 भाग खड़ंजा है, जो काफी उबड़-खाबड़ है ? क्या सरकार स्टेट सेक्टर से इस सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । गन्ना विभाग के स्वामित्व के इस मार्ग के लगभग 7.00 कि0मी0 लम्बे भाग के ईंट के खड़ंजे की दशा बहुत अच्छी नहीं है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में सहारनपुर–दिल्ली मार्ग एवं सहारनपुर से मुजफ्फरनगर मार्ग को चौड़ा करने में प्रयुक्त की जा रही सामग्री में हुई अनियमितता की जांच

103–डा0 माम चन्द्र लाम्बा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में सहारनपुर–दिल्ली मार्ग एवं सहारनपुर से मुजफ्फरनगर मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है ? क्या उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री (मानक) मापदण्ड के उपयुक्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निर्माण कार्य की जांच करायेगी ? क्या निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाये जाने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में ग्राम दिवालडोही के पास काली नदी पर पुल बनाने की मांग

104–रा0 राम चन्द्र लाम्बा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सहारनपुर में देवबन्द से झबरेडा जाने वाली सड़क पर ग्राम दिवालडोही के पास काली नदी का पुल न होने से आने-जाने में जनता को काफी असुविधा रहती है ? क्या सरकार की इस निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुल का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग में चयनित उप बालिका निरीक्षिका के पदों को स्थाई रूप से चलाने एवं वेतन भुगतान का मामला

105–श्री माया शंकर पाठक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में लोक सेवा आयोग से उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पदों का चयन हुआ था ? क्या ये सभी निरीक्षिकायें तब से सेवा में स्थाई रूप से कार्यरत हैं ? क्या इनके प्रशिक्षण काल के 6 माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है ? क्या सरकार इनके वेतन का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

छः माह के व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद 22 निरीक्षिकायें निरन्तर कार्यरत हैं ।

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के 60 अनुदान रहित माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण से छूट देने की मांग

106–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनको वर्ष 1991 तक अनुदान सूची में सम्मिलित नहीं

किया गया है ? उनके नाम क्या हैं और किन कारणों से वंचित रह गये हैं ? क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों को शिक्षण कार्य में लगभग 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं और अप्रशिक्षित हैं, को आधार मानकर अनुदान सूची में नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो शासन के आदेश दिनांक 30-6-78 द्वारा जो अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण में छूट प्रदान करने से संबंधित है, का आदेश उन विद्यालयों पर लागू नहीं माना जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

वर्ष 1991 तक ऐसे "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या-60 है ।

सूची विस्तीर्ण होने के कारण मा0 सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में उसे अवलोकित कर सकते हैं ।

जी हां ।

राजाज्ञा दिनांक 30-6-78 में अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवारत प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षण से छूट देने की व्यवस्था है । प्रशिक्षण की छूट निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र देकर सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने की व्यवस्था है । सेवा अवधि जितनी भी हो सक्षम अधिकारी से प्रशिक्षण से छूट प्राप्त करना अनिवार्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं एकाउण्टेण्ट दोनों पदनामों का वेतनमान एक समान करने हेतु विचार करने की मांग

107–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समता समिति उत्तर प्रदेश (1989) के प्रतिवेदन खण्ड-1 के प्रस्तर 6.10 के अन्तर्गत क्रम संख्या-3 (पृष्ठ सं0-45 पर "वरिष्ठ लेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा)" " प्रस्तर-6-11 के अन्तर्गत क्रम संख्या-4 (पृष्ठ संख्या-46) पर" "एकाउण्टेन्ट" पदनाम के सम्मुख केन्द्र सरकार में कौन सा वेतनमान होने का उल्लेख है ? क्या मुख्य मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि सचिवालय की वर्तमान लेखाकार पदधारकों तथा सी0 डी0 आई0, लखनऊ (आयुर्विज्ञान संस्थान) के लेखाकारों का पदनाम परिवर्तित करते हुए दिनांक 1-1-86 से कौन सा वेतनमान स्वीकृत किए जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या उपरोक्तानुसार पोस्ट टू पोस्ट समानता के सिद्धान्त पर सभी विभागों के "सीनियर आडीटर" के पदधारकों को भी उन्हीं के समान वेतनमान दिनांक 1-1-86 से स्वीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो भेदभाव एवं एक समान मापदण्ड न अपनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दोनों पदनामों के सम्मुख समता समिति के प्रतिवेदन में रु0 1640–2900 का वेतनमान अंकित है ।

उ0प्र0 सचिवालय में लेखाकार के पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेखाकार का पद रु0 1400–2600 के वेतनमान में है। केवल ऐसे पदधारक जो दिनांक 28-10-89 तक प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में रहे हैं, उन्हें रु0 1640–2900 का वेतनमान वैयक्तिक रूप से दिया गया है चूंकि प्रवर वर्ग सहायक का यही वेतनमान है। पी0जी0आई0 में पद अधीक्षक लेखा के नाम से है उक्त संस्थान के कर्मचारी राज्य सरकार से तुलनीय नहीं है क्योंकि यह संस्थान एक स्वशासी संस्था है।

लेखा तथा लेखा परीक्षा संवर्ग में केन्द्र से समकक्षता स्थापित करते हुये वेतनमान दिये जा चुके हैं। अतः अब विचार का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लेखा एवं आडिटकर्मियों के वेतनमान व अन्य समस्याओं विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

108–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखा एवं आडिटकर्मियों की वेतनमान व अन्य समस्याओं के विषय में उनके एकीकृत प्रान्तीय फेडरेशन "उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा परिसंघ" लखनऊ का पत्र दिनांक 25-8-93 एवं दिनांक 18-9-93 प्रमुख सचिव (वित्त), उ0 प्र0 शासन को सीधे तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–1920, दिनांक 16-10-93 एवं मुख्य सचिव के माध्यम से प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के साथ संलग्न मांग-पत्र में कौन-कौन से बिन्दुओं और उक्त पत्र दिनांक 18-9-93 के प्रस्तर संख्या–2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में किन-किन बिन्दुओं/तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करके शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया गया है और उन सभी पर बिन्दुवार अब तक सरकार की आख्या एवं निर्णय क्या है ? सरकार उक्त समस्याओं/मांगों का निराकरण कब तक सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

उल्लिखित पत्रों के साथ संलग्न मांग पत्र के बिन्दुओं के बारे में आख्या की गयी कार्यवाही/स्थिति/टिप्पणी संलग्न है†।

आडिट एवं लेखा संवर्ग में उससे ऊपर के पदों पर प्रोन्नति का मामला

109–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि समता समिति, उ0 प्र0 (1989) के प्रतिदिन (खण्ड–6–12) (पृष्ठ–46) तथा शासन स्तर पर वित्त विभाग की जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार में आडिट एवं लेखा संवर्ग में वेतनमान रु0 2400–2600 और उसके

†छापी नहीं गई।

ऊपर के पदों को नियमानुसार प्रोन्नति से ही भरे जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के समान क्या राज्य सरकार में भी आडिट एवं लेखा संवर्ग में वेतनमान रु0 1400–2600 तथा उसके ऊपर के पदों, जैसे सहायक लेखाधिकारी व लेखाधिकारी आदि को शतप्रतिशत प्रोन्नति से ही भरे जाने हेतु विचार/निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(1) केन्द्र सरकार में आडिट संवर्ग में रुपया 1400–2600 और उसके ऊपर के पदों को नियमानुसार विभागीय परीक्षा/सेक्शन आफिसर ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोन्नति का प्राविधान है । लेखा संवर्ग में भी रुपया 1400–2600 के पदों को प्रोन्नति से भरे जाने का प्राविधान है, किन्तु उसके ऊपर के पदों तथा प्रोन्नति के लिए निर्धारित मापदण्ड की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(2) राज्य सरकार आडिट एवं लेखा संवर्ग में वेतनमान रुपया 1400–2600 तथा उसके ऊपर के पदों पर प्रोन्नति हेतु व्यवस्था में परिवर्तन करने पर वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता है ।

(4) राज्य में आडिट एवं लेखा संवर्गों में जहां सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है, यह व्यवस्था ऐसे पदों/संवर्गों के कर्तव्य/दायित्व तथा कार्य दक्षता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है । इसमें परिवर्तन का औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में टैगोर पुस्तकालय में वरीयता प्राप्त कर्मचारियों को सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति का मामला

110–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, टैगोर पुस्तकालय में मात्र वरीयता के आधार पर किसी कर्मचारी को "सहायक पुस्तकाध्यक्ष" के पद पर प्रोन्नति दी जा चुकी है ? क्या कालान्तर में एक अन्य कर्मचारी को भी इसी पद पर प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या पूर्व कर्मचारियों की भांति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर "सहायक पुस्तकाध्यक्ष" के रिक्त पद पर प्रोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों –

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद चयन श्रेणी का पद है अतः वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय टैगोर पुस्तकालय में राजाज्ञा का पालन न करने की कथित शिकायत

111–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ वि0 वि0, टैगोर पुस्तकालय में, राजाज्ञा संख्या–347/15-10-91/(10)/91, दिनांक 30-3-91 का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस आदेश के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि राजाज्ञा का पालन किया जा रहा है, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में टैगोर पुस्तकालय के डिप्टी लाइब्रेरियन के खिलाफ प्रतिवेदन

112–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ वि0 वि0, टैगोर पुस्तकालय के डिप्टी लाइब्रेरियन के खिलाफ क्या कोई प्रतिवेदन कुलपति को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रत्यावेदन पर कुलपति ने विचार किया तथा प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता नहीं पायी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अक्रूर जी कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, चन्दौसी, मुरादाबाद के रिक्त चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत कर्मचारी को वेतन दिए जाने की मांग

113–श्री कृष्ण कुमार रवमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अक्रूर जी कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, चन्दौसी (मुरादाबाद) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान पर श्रीमती मीना कुमारी बेवा श्री राजाराम की नियुक्ति 13-1-92 से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या

उनकी उपस्थिति 13-1-92 से नियमित हो रही है ? यदि हां, तो उनको 13-1-92 से 3-5-93 तक का वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त विधवा/बेसहारा महिला की 16 माह की सेवा का अनियमित तरीके से रोका गया वेतन उक्त कर्मी को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

114–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

[तीसरे होम के लिए स्थगित]

श्री मनमोहन लाल सक्सेना, सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक सीतापुर के बकाया प्राविडेन्ट फण्ड के भुगतान की मांग

115–श्री रजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री मनमोहन लाल सक्सेना, सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक, सीतापुर को रिटायरमेन्ट के बाद अभी तक प्राविडेन्ट फण्ड का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा अधिवक्ताओं के मध्य कार्य विभाजन

116–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में जिला न्यायालयों में कार्यरत अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ताओं/पैनल लायर्स के बीच कार्य विभाजन का क्या आधार है ? जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने इन अधिवक्ताओं के कार्य में एक वर्ष में कितने बार परिवर्तन किया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के मध्य कार्य विभाजन जिला शासकीय अधिवक्ता/जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्षमता के आधार पर किया जाता है ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इन अधिवक्ताओं के मध्य कार्य विभाजन गत एक वर्ष में दो बार दिनांक 23-7-93 एवं 4-6-94 को किया गया है ।

नान जुडिशियल स्टाम्प की बिक्री पर प्रदेश के कतिपय जिलों में लगा प्रतिबन्ध

117–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने 5000/- के नान जुडिशियल स्टाम्प की बिक्री पर पूरे प्रदेश में या कुछ जनपदों में प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो ऐसे प्रतिबंध का औचित्य क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि गाजियाबाद जनपद में 1000/-, 2000/- व 3000/- के स्टाम्प काफी समय से उपलब्ध नहीं हैं ?

यदि हां, तो ऐसे स्टाम्प उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या बड़े-बड़े दस्तावेजों पर वर्तमान में उपलब्ध 750/- के स्टाम्प लगाने से सरकारी स्टेशनरी की हानि होती है ? यदि हां, तो हानि से बचने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, अस्थायी तौर पर यह प्रतिबन्ध पूरे प्रदेश में लागू है ।

केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड से लखनऊ के लिए भेजे गए स्टाम्प पत्रों के संबंध में दिनांक 28-2-1993 को यह तथ्य सामने आया कि पांच-पांच हजार रुपए मूल्य के कुल रु0 4,83,30,000/- का स्टाम्प पत्र रेलवे संचरण के दौरान चोरी हो गए । इन स्टाम्प पत्रों को बाजार में अवैधानिक ढंग से बेचने की सुविधा न उपलब्ध हो, के प्रयोजन से पांच-पांच हजार मूल्य के स्टाम्प पत्रों की बिक्री को अस्थायी तौर पर पूरे प्रदेश में प्रतिबन्धित किया गया है ।

रु0 2,000 से 3,000 मूल्य के स्टाम्प पत्रों की छपाई केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड द्वारा बन्द कर दी गयी है । रु0 1,000 के स्टाम्प पत्र कोषागार, गाजियाबाद में उपलब्ध हैं ।

केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड, द्वारा जिन स्टाम्प पत्रों की छपाई बन्द कर दी गई है, उसे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है ।

जी हां ।

शासकीय अधिसूचना संख्या एस0 आर0 894-ए/x1-94-500(44)/93, दिनांक 4-4-1994 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 10-क के अन्तर्गत नकद धनराशि जमा करके स्टाम्प शुल्क अदा होने के प्रमाणक संबंधित निलेख पर अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

वाराणसी स्थित बलुआघाट पर पीपे के पुल के निर्माण की योजना

118–श्री माया शंकर पाठक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिरईगांव विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी स्थित बलुआघाट पर पीपे के पुल (अस्थाई) के स्थान पर गंगा नदी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण कराये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुमानित लागत रु0 20.00 करोड़ होने के कारण ।

119—श्री माया शंकर पाठक—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

माध्यमिक शिक्षा में एल0 टी0 ग्रेड एवं प्रवक्ताओं के पदों के प्रोन्नति की कार्यवाही

120—श्री मालवर सिंह कण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में एल0 टी0 ग्रेड एवं प्रवक्ताओं के पदों की पदोन्नति कब से नहीं हो पायी है ? इसके विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार एल0 टी0 ग्रेड एवं प्रवक्ताओं के पदों पर कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति शीघ्र करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाकिर अली—

प्रवक्ता वेतनक्रम रुपया 1600—2660 (पुरुष एवं महिला शाखा) के 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के प्रति वर्ष 1992-93 में विभागीय चयन से पदोन्नति की जा चुकी है । इसके आगे चयन एवं पदोन्नति विषयक कार्यवाही गतिमान है । अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनक्रम 2000—3500 पुरुष शाखा पदों के विरुद्ध वर्ष 1989-90 तक की रिक्तियों के विरुद्ध वर्ष 1994 में विभागीय चयन के उपरान्त नियमित पदोन्नति दी गयी है । महिला शाखा में अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनक्रम 2000—3500 के पदों के विरुद्ध वर्ष 92-93 की रिक्तियों के प्रति वर्ष 1993 में विभागीय चयन से नियमित पदोन्नति की जा चुकी है । पुरुष शाखा एवं महिला शाखा में उक्त श्रेणी के पदों के प्रति आगे की रिक्तियों में चयन एवं पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है । उपरोक्तानुसार शीघ्र चयन एवं पदोन्नति कर दी जायेगी ।

रायबरेली की पेपर मिल से निकलने वाले गन्दे पानी के कारण हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग

121—श्री दल बहादुर कोरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की सई नदी में पेपर मिल का गन्दा पानी छोड़ा जाता है जिससे लाखों मछलियां मर जाती हैं ? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि जो फैक्टरियां प्रदूषण संयन्त्र नहीं लगायेंगी बन्द कर दी जायेंगी ? क्या सई नदी में उक्त गंदा पानी डालने से रोका जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद रायबरेली में स्थित मे0 श्री भवानी पेपर मिल लि0, एवं मे0 रावल पेपर मिल, में निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह, औद्योगिक ड्रेन के माध्यम से सई नदी में निस्तारित किया जाता है । मे0 भवानी पेपर मिल का उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाता है तथा मेसर्स रावल पेपर मिल का उत्प्रवाह मानकों से अधिक होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25-7-94 को उद्योग को छः सप्ताह का समय उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप लाने हेतु दिया गया है । मछलियों के मरने के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

मेसर्स राबल पेपर मिल रायबरेली को उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप हों निस्तारित करने के निर्देश उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 30-7-94 को दिये गये हैं ।

कानपुर विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का 19 सूत्रीय मांग पत्र

122—श्री तेजभान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 अप्रैल, 1993 को कानपुर विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय कर्मचारी संघ, कानपुर द्वारा प्रदर्शन/धरना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को मांग-पत्र हस्तगत कराया गया, तत्पश्चात 16 मई, 1994 को मुख्य मंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री तथा सचिव एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित, 19 सूत्री मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांग-पत्र में उल्लिखित किन-किन मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

123—श्री योगेन्द्र कुमार सागर—

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा मण्डल कार्यालय में एक ही सीट पर कार्यरत कर्मचारी की संख्या एवं अवधि

124—डा0 रामबाबू हरित—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा मण्डल कार्यालय में अनुदान बांटने की एक ही सीट पर कितने कर्मचारी कितने वर्ष से कार्यरत हैं और क्यों ? ये आगरा जनपद में कितने वर्ष से कार्यरत हैं ?

श्री शाकिर अली—

प्रश्नगत कार्यालय में अनुदान आवंटन का कार्य वर्ष 1989 से एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक शिविर लिपिक तथा वर्ष, 1994 से एक वरिष्ठ सहायक कार्य कर रहे हैं । अनुदान आवंटन लिपिक विभागीय कार्यक्षमता एवं अनुभव के आधार पर कार्यरत हैं । उक्त कर्मचारी आगरा जनपद के विभिन्न कार्यालयों में वर्ष 1970, 1965, 1981 से कार्यरत हैं ।

जनपद मैनपुरी के प्रान्तीय खण्ड में मार्ग निर्माण में दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

125—डा0 रामबाबू हरित—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 91-92 में जनपद मैनपुरी के प्रान्तीय खण्ड में त्रुटिपूर्ण मार्ग निर्माण की विभागीय जांच में कितने अनु0 जाति व सामान्य वर्ग के सहायक अभियन्ता दोषी पाये गये ? क्या अनुसूचित जाति के अलावा अन्य वर्ग के अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या किसी दोषी सामान्य वर्ग के अभियन्ता को प्रोन्नत किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष दोषी अभियन्ताओं को निलम्बित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रकरण में प्रथम दृष्टया दो अनुसूचित जाति तथा चार सामान्य वर्ग के सहायक अभियन्ता दोषी पाए गए ।

श्री एन0 सी0 जैन, अधिशासी अभियन्ता को भी निलम्बित किया गया, जो सामान्य वर्ग के हैं ।

जी हां । सामान्य वर्ग के प्रोन्नति किए गए अभियन्ता के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कार्यवाही प्रगति में है और जांच कार्यवाही के दौरान प्रोन्नति पर रोक का कोई प्राविधान नहीं है ।

आरोपों की गम्भीरता एवं पुष्टि के आधार पर औचित्य पाये जाने पर अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किये जाते हैं ।

जनपद आगरा में रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव की जानकारी देने की मांग

126—श्री रमेश कान्त लवानियां—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में रिंग रोड बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण आरम्भ हो जायेगा । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127—श्री धनश्याम शुक्ल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

128—श्री धनश्याम शुक्ल—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा की जिला योजना में मार्ग निर्माण में हुई अनियमितता की टी0 ए0 सी0 से जांच की मांग

129—श्री घनश्याम शुक्ल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 94 के पूर्व प्रान्तीय खण्ड/विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा ने जनपद के किस-किस जिला योजना मार्ग पर तथा भूमिहीन गारन्टी मार्गों पर मरम्मत के नाम पर कितनी धन-राशि प्रति किलोमीटर व्यय की है ? क्या सरकार टी0 ए0 सी0 भेजकर भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां । प्रान्तीय खण्ड/विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा दिनांक 31-3-94 के पूर्व (1-4-93 से 31-3-94 तक) मार्गों की मरम्मत के मद में 133.60 लाख रुपए का व्यय किया गया । विभाग में मरम्मत के मद में मार्ग-वार तथा किलोमीटर वार विवरण नहीं रखा जाता है ।

टी0 ए0 सी0 द्वारा पूर्व में ही माह अप्रैल, 1993 तथा मार्च, 1994 में निरीक्षण किया जा चुका है । इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है ।

130—श्री घनश्याम शुक्ल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला नैनीताल में प्रदूषणयुक्त उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

131—श्री राजीव कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में लगे सभी उद्योग प्रदूषण मुक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो ऐसे प्रदूषण युक्त उद्योगों के खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

नैनीताल जनपद में 29 प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित हैं इनमें से 24 उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कर लिया गया है एवं उद्योगों द्वारा अपना उत्प्रवाह/उत्सर्जन बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जा रहा है ।

शेष उद्योगों के संबंध में जल व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

सेतु निगम के श्री एम0 जेड0 अन्सारी, उप-योजना प्रबंधक को उनके पद के अनुसार कार्य दिया जाना

132—श्री उदल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उनके विभाग सेतु निगम में श्री एम0जेड0 अन्सारी जो उप-योजना प्रबंधक के पद पर उ0 प्र0 सेतु निगम में कार्यरत हैं, उनकी पोस्टिंग लखनऊ में डेढ़ वर्ष पूर्व कानपुर से हुई थी ? यदि हां, तो उनको अभी तक कार्यभार क्यों नहीं ग्रहण कराया जा रहा है ? क्या उनका कार्य उनके जूनियर से लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन श्री अंसारी को उनके पद के अनुसार उनको काम करने का अवसर प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

दिनांक 20-11-92 को श्री एम0 जेड0 अंसारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अंसारी से उनके पद के अनुसार ही कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मेरठ के नगर परीक्षितगढ़ तथा किठौर में बनी सड़कों में पानी भरे रहने की शिकायत

133—श्री राम कृष्ण वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया अवगत हैं कि मेरठ जनपद के नगर परीक्षित गढ़ तथा किठौर में सड़कें नीची तथा दोनों ओर नालियां भी नहीं हैं जिसके कारण नगरों का गंदा पानी सड़कों पर भरा रहता है ? क्या इन स्थानों पर पूरी लम्बाई में मार्गों को ऊंचा करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सड़कों के ऊंचा करने तथा दोनों ओर नालियां बनाने के आदेश देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

परीक्षित गढ़ क्षेत्र में प्रमुख जिला मार्ग के कतिपय भागों को ऊंचा कर खड़ंजा लगा दिया गया है और जल भराव की समस्या अब नहीं है । आबादी के इस भाग में नालियां प्राइवेट का स्थानीय निकाय की हैं । किठौर में मवाना किठौर मार्ग की आबादी वाले भाग में ऊंचा कर खड़ंजा लगाया जा चुका है तथा जल भराव की समस्या नहीं है । दोनों ओर एक्की नाली बनी है । किठौर की राज्य मार्ग संख्या-14 स्थित आबादी क्षेत्र में 200 मीटर लम्बाई में जल भराव की समस्या है एवं अधिकतर नालियां नहीं हैं ।

जी नहीं ।

वर्तमान में आवश्यकता नहीं है । जी नहीं । कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकतायें तय होती हैं । नालियों का निर्माण एवं रख रखाव स्थानीय निकायों का कार्य है ।

आर0 बी0 एस0 माध्यमिक विद्यालय, कानपुर देहात के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

134–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के प्रथम सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-76 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित प्रकरण पर जांच के आदेश किस तिथि को हुए ? उक्त प्रकरण में जांच के बिन्दु/शिकायत क्या थी ? इस समय जांच किस स्तर पर प्रचलित है ? इतने लम्बे समय तक उक्त जांच पूर्ण न होने के कारण क्या है ?

श्री शाकिर अली–

सन्दर्भित प्रकरण में जांच के आदेश दिनांक 14-2-1992 को हुए ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 12-2-92 में निम्नलिखित शिकायतों का उल्लेख है:–

1–आर0बी0एस0उ0मा0 विद्यालय कहिंजरी कानपुर देहात के प्रधानाचार्य द्वारा अपने दो पुत्रों की नियुक्ति आते ही विद्यालय में वांछित योग्यता के न होते हुए भी करना ।

2–विद्यालय में कार्यरत अध्यापक श्री महेश सिंह को बिना वैधानिक नोटिस दिये नौकरी से निकालना ।

3–प्रधानाचार्य द्वारा अपने एक पुत्र अनिल श्रीवास्तव जो अक्टूबर, 1989 में प्रशिक्षित है को मार्च, 1989 में प्रशिक्षित दिखाना तथा दूसरे पुत्र अध्यापक जो प्रशिक्षित ही नहीं है, को प्रशिक्षित दिखाया जाना ।

4–प्रधानाचार्य द्वारा अपने नाबालिग भतीजे को उसी विद्यालय में लिपिक पद पर भर्ती कर लेना ।

5–प्रधानाचार्य द्वारा अपने दो रिश्तेदारों को तब तक अध्यापक पद पर रखना जब तक उनके दो पुत्रों की नियुक्ति नहीं हो गई ।

6–श्री महेश सिंह के नियमितीकरण की पत्रावली उपलब्ध न होने की सूचना देना ।

7–जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात द्वारा उपस्थिति पंजिका, वेतन पंजिका व अन्य अभिलेखों की जांच न किया जाना ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात द्वारा जांच पूर्ण कर ली गयी है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम लखन शुक्ल, भूतपूर्व प्राचार्य, संस्कृत महाविद्यालय करौंदिया सुल्तानपुर के वेतन पेंशन के भुगतान के मामले में की गयी कार्यवाही

135–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री राम लखन शुक्ल, भूतपूर्व प्राचार्य, संस्कृत महाविद्यालय करौंदिया, सुल्तानपुर का दिनांक 24-2-92 का

रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र जिसमें वेतन भुगतान, पेंशन आदि का भुगतान न होने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री शुक्ल को देयों का भुगतान शीघ्र कराये जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

श्री शुक्ल का पत्र दि0 24-2-92 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । इस संबंध में श्री शुक्ल का एक अन्य शिकायती पत्र दिनांक 29-9-92 निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0 प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ है । शिकायती-पत्र दि0 29-9-92 के संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधक के माध्यम से आवश्यक पत्रजात उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के बावजूद भी श्री शुक्ल द्वारा अपेक्षित पत्रजात उपलब्ध न कराए जाने के कारण प्रकरण पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई । श्री शुक्ल द्वारा विद्यालय का प्रभार सौंपने, अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने, पेंशन प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से भेजने पर ही कार्यवाही संभव हो पायेगी ।

136–श्री तेजभान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सहकारी चीनी मिलों के गन्ना निरीक्षकों को प्रोन्नत करने का मामला

137–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1991 से 31-5-94 तक सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत गन्ना निरीक्षकों में से कितने गन्ना निरीक्षकों को अतिरिक्त गन्ना क्रय अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनमें अनुसूचित जाति के कितने प्रोन्नति किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनवरी 1991 से 31-5-94 तक सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत 15 गन्ना निरीक्षकों को अतिरिक्त गन्ना क्रय अधिकारी के पदों पर प्रोन्नत किया गया है । अतिरिक्त गन्ना क्रय अधिकारी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण न करने के कारण अनुसूचित जाति के किसी गन्ना निरीक्षक की प्रोन्नति नहीं की गयी ।

शिक्षा विभाग में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

138–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें से सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या सरकार द्वारा कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

139–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[दि0 7-3-94 को अता0प्र0सं0 72 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 इकाई देवरिया में मृतक आश्रित कर्मचारी श्री राधे श्याम पाण्डेय को स्थायी करने की मांग

140–श्री बेचन राम–

क्या सरकार को ज्ञात है देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 इकाई, देवरिया में श्री चन्दन पाण्डेय, इंजनड्राइवर, ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत रहे जिनकी मृत्यु 5-12-83 को उनके सेवाकाल में ही हो गयी है ? क्या उनके आश्रित राधेश्याम पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री चन्दन पाण्डेय को अनुकम्पा सेवा का अवसर दिनांक 1-3-84 को प्रदान किया गया है ? क्या सरकार इसी क्रम में यह भी बतायेगी कि लगातार 10 वर्षों तक सेवा करने के बाद श्री राधेश्याम पाण्डेय को स्थायी क्यों नहीं किया गया है? क्या यह सत्य है कि स्व0 श्री चन्दन पाण्डेय की मृत्यु के बाद कई मृतक आश्रितों को नियमित कर दिया गया है ? क्या सरकार अन्य मृतक आश्रितों/कर्मचारियों की भांति श्री राधेश्याम पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री चन्दन पाण्डेय को भी नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री चन्दन पाण्डेय, इन्जन ड्राइवर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, के अधीनस्थ कार्यरत न होकर मेसर्स देवरिया शुगर मिल्स लि0, के अधीनस्थ कार्यरत थे । उन्होंने बीमारी के आधार पर दिनांक 20-11-83 को त्याग पत्र दे दिया जो मिल द्वारा 28-11-83 को स्वीकृत करा दिया गया त्याग पत्र स्वीकृत होने तथा सेवा मुक्त होने के उपरान्त ही श्री पाण्डे की मृत्यु हुई । मिल मालिकों द्वारा सेवा-मुक्त कर्मचारी के आश्रित के रूप में उनके पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डे को मौसमी स्थायी अकुशल मजदूर के रूप में अन्य 32 ऐसे आश्रितों के साथ नियुक्त किया गया । मिल का अधिग्रहण दिनांक 24-4-89 को राज्य सरकार द्वारा किया गया उस समय श्री राधेश्याम पाण्डे मौसमी स्थायी अकुशल मजदूर के रूप में कार्यरत थे । श्री राधेश्याम पाण्डे को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त नहीं किया गया । चीनी उद्योग मौसमी उद्योग होने के कारण अधिकांश कर्मचारी मौसमी होते हैं । श्री पाण्डे की नियुक्ति पूर्व मिल मालिकों द्वारा स्थायी मौसमी मजदूर के पद पर की गयी थी, जिस पर वह कार्य कर रहे हैं । वे मिल के नियमित मौसमी स्थायी कर्मचारी हैं तथा पिराई सत्र के दौरान इनसे कार्य लिया जाता है । मिल बन्दी के दौरान इन्हें रिटेनिंग एलाउन्स दिया जाता है । अतः अब किसी और कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता ।

जिला बाराबंकी में सड़क निर्माण में शासन द्वारा खर्च किए गए धन का ब्यौरा

141—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में 1993 से 1994 तक सरकार से लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी को कितना धन शासन द्वारा आवंटित किया ? प्रत्येक विकास खण्डवार, कितना धन सड़कों के निर्माण में खर्च किया गया ? क्या सरकार उसकी प्रत्येक विकास खण्डवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला लखनऊ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा आई0 टी0 आई0 के आय व्ययक तथा कर्मचारियों की नियमितीकरण करने की मांग

142—श्री राम करन आर्य—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा विभाग, आई0 ई0 टी0, लखनऊ में कितना आय-व्ययक होता है ? गत नौ वर्षों से समेकित वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण कब होगा ? संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिषद् कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

संयुक्त प्रवेश परीक्षा 1994 की अनुमानित आय रु0 1,33,81,600 (रु0 एक करोड़ तैंतीस लाख इक्यासी हजार छः सौ मात्र) है जिसके विपरीत अनुमानित व्यय रु0 1,10,44,855 (रु0 एक करोड़ दस लाख चौवालिस हजार आठ सौ पचपन मात्र) का सम्भावित है । शासन द्वारा विनियमितीकरण का प्रकरण निरस्त होने पर कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है जो विचाराधीन है । संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति द्वारा समस्त कार्यों का सम्पादन किया जाता है । अभी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् का औचित्य नहीं बनता है ।

जनपद फैजाबाद में अस्थाई खण्ड-1 लो0 नि0 विभाग के अधीन हैदरगंज बेला रखौना फुलौना मार्ग पर 10 एम0 एम0 एवं 12 एम0एम0 की आमन्त्रित की गयी निविदा विषयक विवरण प्रस्तुत करने की मांग

143—श्री इन्द्र भद्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में अस्थाई खण्ड-1 लो0 नि0 विभाग के अधीन हैदरगंज, बेला रखौना फुलौना मार्ग पर 10 एम0 एम0 एवं 12 एम0 एम0 ग्रिट की निविदा कितनी बार और कब-कब आमंत्रित की गई थी ? किन परिस्थितियों में पहली निविदा को निरस्त किया गया था ? दुबारा आमंत्रित की गई निविदा किलोमीटर 4-5 को छोड़कर 6-7 कि0मी0 के लिए ही क्यों मांगी गई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हैदरगंज-रसोना मार्ग के कि0मी0 4, 5, 6 एवं 7 के प्रथम सतह एवं द्वितीय सतह लेपन हेतु 12 एम0 एम0 एवं 10 एम0 एम0 ग्रिट की आपूर्ति हेतु दिनांक 26-2-92 को निविदायें आमंत्रित की गयीं । इसके विरुद्ध कोई निविदा प्राप्त न होने पर किमी0 6 एवं 7 में कार्य का तहले लक्ष्य रखकर ग्रिट की आपूर्ति हेतु तुनः दिनांक 26-3-93 तथा किमी0 4 एवं 5 में दिनांक 29-3-94 को निविदायें आमंत्रित की गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

डा0 ए0 एन0 पाठक निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् उ0 प्र0 के सम्बन्ध में मंडल आयुक्त लखनऊ द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

144–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 ए0 एन0 पाठक, निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् उ0 प्र0 के सम्बन्ध में मण्डल आयुक्त, लखनऊ द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या निदेशक, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद पर डा0 ए0 एन0 पाठक को जांच रिपोर्ट में की गयी संस्तुति के अनुसार सवेतन पुनः स्थापित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उन्हें पदास्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जांच रिपोर्ट पर दण्डाधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित कर दिये गये हैं । जांच अधिकारी की संस्तुति के अनुसार सवेतन बहाल नहीं किया गया बल्कि डा0 पाठक को दण्ड के सहित पद पर पुनः स्थापित कर दिया गया है । प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जिले के विकास खण्ड छतोह में इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित किये जाने की मांग

145–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि रायबरेली के विकास खण्ड छतोह, जो कि पिछड़ों और अनु0 जाति का बाहुल्य विकास क्षेत्र है, में आजादी से लेकर आज तक एक भी इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा विकास खण्ड छतोह में इण्टर कालेज खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । सम्प्रति कोई योजना संचालित न होने के कारण इण्टरमीडिएट कालेज खोलने पर विचार किया जाना संभव नहीं है ।

रायबरेली जिले में करहिया से जौदहा को जोड़ने वाले मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का करने की मांग

146—श्री दल बहादुर—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रायबरेली में करहिया से जौदहा को जोड़ने वाले मार्ग को, जिसमें बोल्डर डाल दिया गया है, जिससे आने-जाने वाली जनता को बहुत ही कष्ट होता है ? यदि हां, तो क्या उस मार्ग को लेपन स्तर तक डामर रोड करने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1986-87 में स्वीकृत यह मार्ग खड़ंजा स्तर तक निर्मित है तथा आवागमन सामान्य रूप से चालू है । जी नहीं । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर नगर में प्रबन्ध तंत्र द्वारा किये गये गबन के फलस्वरूप दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

147—श्री इन्द्र देव सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर नगर में लिपिक के पद पर कार्यरत श्री मो0 शुएब उस्मानी द्वारा लाखों रुपये का गबन किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि गबन का दोषी पाये जाने पर उसे सेवा से पृथक कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसे पुनः सेवा में बहाल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध नियुक्ति को निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अनियमितताओं एवं गबन जैसे गंभीर आरोप की शिकायत प्रबंधतंत्र को थी । जी हां

प्रबंधतंत्र द्वारा अपनी बैठक दिनांक 18-2-1991 में पारित प्रस्ताव के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर के पत्रांक 14271/74 दिनांक 9-11-92 द्वारा अनुमोदनोपरान्त सेवायें समाप्त हुईं । जी हां । सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध श्री शुएब द्वारा की गई अपील पर मा0 उप शिक्षा निदेशक, कानपुर ने जांच की और जांचोपरान्त अभिकथनों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और विवेचनों के आधार पर श्री मो0 शुएब पर आरोप सिद्ध न होने के फलस्वाप मं0 उप शिक्षा निदेशक कानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 2-10-93 के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर के पत्र दिनांक 9-2-92 को विखण्डित करते हुए उन्हें उनके निलम्बन की तिथि से सेवा में मान लिया ।

जब गबन के आरोप सिद्ध ही नहीं हुए तो नियुक्ति निरस्त करने का प्रश्न प्रश्न नहीं उठता ।

हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कानपुर में फिजीकल डाइरेक्टर के पद पर कार्यरत श्री इरशाद अली द्वारा 5 वर्षों से खेलकूद का आयोजन न किये जाने तथा उस मद के पैसे का दुरुपयोग किये जाने का कथित आरोप

148–श्री इन्द्र देव सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर में एक पद फिजीकल डाइरेक्टर का सृजित है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त पद पर श्री इरशाद अली कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त कालेज में विगत 5 वर्षों से कोई खेलकूद आयोजित नहीं किया गया है ? क्या खेलकूद की मद में छात्र/छात्राओं से पैसा वसूला गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त महाविद्यालय, जिसमें फिजीकल डाइरेक्टर के पद का कोई औचित्य नहीं है, को समाप्त करने पर कोई विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर में मावलखेड़ा भटपुरा मार्ग के नाले को खुलवाने की मांग

149–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मावलखेड़ा-भटपुरा मार्ग (जनपद शाहजहांपुर) सार्वजनिक नाला किन-किन लोगों ने बन्द किया है ? क्या इससे पूरे क्षेत्र की जनता प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस नाले को खुलवाकर क्षेत्र की जनता को राहत दिलवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नाला बन्द करने के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्ड देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मावलखेड़ा-भटपुरा मार्ग पर कोई नाला नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

150–श्री बेचनराम–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सहारनपुर में लोकोशेड के जर्जर रेलवे पुल को बनाये जाने की मांग

151–डा0 गंगाचन्द्र लाम्बा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सहारनपुर शहर में लोकोशेड पुल जो रेल विभाग का है काफी जर्जर अवस्था में है एवं विगत वर्षों से भारी वाहन का इस पुल से चलना वर्जित है, जिससे भारी वाहनों को 5.5 किलोमीटर सफर ज्यादा तय करना पड़ता है ? क्या यह सही है कि इससे समय व धन का काफी दुरुपयोग के साथ-साथ आम जनता को भी आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की बगल (साइड) में एक नया पुल बनवाने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार से इसकी मरम्मत हेतु सिफारिश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । पुल पर मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण मात्र भारी वाहनों का चलना वर्जित है । जिसके फलस्वरूप भारी वाहनों को 2.00 किमी0 अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है ।

पुल की चौड़ाई कम होने के कारण जनता को असुविधा से इनकार नहीं किया जा सकता ।

वर्तमान में राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधन के कारण फिलहाल नया पुल बनवाना संभव नहीं है ।

फिलहाल पुल की दशा संतोषजनक बतायी गयी है, अतः मरम्मत के बारे में राज्य सरकार का लिखना आवश्यक नहीं है ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज सितारगंज, नैनीताल की प्रधानाचार्या सुश्री विमला शास्त्री के विरुद्ध आरोपित अपराधों की जांच तथा कार्यवाही की मांग

152–डा0 राम बाबू हरित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-8-93 राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सितारगंज, नैनीताल की प्रधानाचार्या सुश्री विमला शास्त्री के विरुद्ध अपराध सं0–243/94, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 341, 316 आई0 पी0 सी0 थाना खेतवाली, सितारगंज (नैनीताल) में श्री डोरीलाल वर्मा, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, सितारगंज ने अपनी पत्नी मंजू वर्मा के साथ उक्त प्रधानाचार्या के द्वारा उत्पीड़न के बारे में दर्ज कराया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में उपरोक्त प्रधानाचार्या की निष्पक्ष जांच के हित में तुरन्त स्थानान्तरण हेतु समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सरदार अमरजीत सिंह ने मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-12-93 को दिया था ? उक्त प्रधानाचार्या के खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना तथा अब तक स्थानान्तरण न किया जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी हां ।

मामले की जांच की जा रही है । जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में दहिला, शिवनाम, पोखरा मार्ग का निर्माण कार्य डामर डलवाकर कराने की मांग

153—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में दहिला, शिवनाम, पोखरा मार्ग पर डामर डलवा कर निर्माण कार्य करवाया जाना शासन से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण कार्य जिला योजना की प्रकृति का होने के कारण ।

जल एवं वायु परीक्षण हेतु निजी प्रयोगशालाओं को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त मान्यता

254—श्री गोपाल काली तथा डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या अब तक जल एवं वायु परीक्षण हेतु निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है ? यदि हां, तो उन प्रयोगशालाओं का विवरण क्या है ? यदि मान्यता नहीं दी है तो क्यों ? क्या शासन सुयोग्य पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा परिचालित निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । केवल वायु गुणता की जांच हेतु ।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निजी क्षेत्र की निम्न चार प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गयी थी :—

1—मेसर्स इनवायरोटेक, नई दिल्ली ।
2—मेसर्स श्री गनेश टेस्ट हाउस, गाजियाबाद ।
3—मेसर्स एम0 ई0 एफ0, नोएडा ।
4—मेसर्स न्यूकेम लैब, फरीदाबाद ।

क्रम संख्या-1 प्रयोगशाला जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी । जबकि अन्य तीन प्रयोगशालाओं को एक वर्ष के लिए मान्यता दी गई थी जो कि मई, 1992 को समाप्त हो चुकी है । इस प्रकार वर्तमान में केवल मेसर्स इनवायरोटेक, नई दिल्ली को ही मान्यता प्राप्त है ।

बोर्ड द्वारा जल उत्प्रवाह के विश्लेषण हेतु निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं का पंजीकरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बोर्ड के पास स्वयं की 11 प्रयोगशालाएं विभिन्न शहरों में स्थापित थी एवं यह प्रयोगशालाएं प्रदेश में स्थित सभी प्रदूषणकारी उद्योगों के जल उत्प्रवाह के विश्लेषण हेतु सक्षम थी ।

जी हां । बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप यदि प्रयोगशाला आती है तो मान्यता दी जायेगी ।

बोर्ड की 48वीं बैठक दिनांक 3-5-94 में लिए गए निर्णय के अनुसार निजी क्षेत्र की 18 प्रयोगशालाओं को मान्यता दिए जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है जिन्हें वायु अनुश्रवण के लिए मान्यता दिए जाने के संबंध में संबंधित प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर मान्यता दिए जाने हेतु निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सीतापुर लखीमपुर पलिया कलां मार्ग का निर्माण कार्य

155–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर-लखीमपुर पलिया कलां मार्ग, जो विगत शासन द्वारा 1992 में स्वीकृत किया गया था, का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

कार्य प्रगति में है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

156–श्री तेज भान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका बाराबंकी से अधिग्रहीत भवनहीन विद्यालयों के भवनों के निर्माण की मांग

157–श्री बैजनाथ रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नगर पालिका, बाराबंकी से कब और कितने विद्यालय अधिग्रहीत किए गए थे ? उनमें से कितने विद्यालय भवनहीन हैं तथा कब तक उन्हें भवन युक्त कर दिया जायेगा ?

श्री शाकिर अली–

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पश्चात् वर्ष 1972 में तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 17 प्राथमिक विद्यालय अधिग्रहीत किए गए ।

अधिग्रहीत विद्यालयों में 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 7 प्राथमिक विद्यालय भवनहीन हैं ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

जनपद सहारनपुर के एक विद्यालय में श्री आनन्द बिहारी बाजपेयी की नियुक्ति मृतक आश्रित के तौर पर किए जाने की मांग

158–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आनन्द बिहारी बाजपेयी की नियुक्ति मृतक आश्रित के आधार पर उनकी मां के स्थान पर शाहजहांपुर बी0 एस0 ए0 के द्वारा दिनांक 22-3-94 को की गई ? यदि हां, तो यह नियुक्ति उनकी मृतक मां श्रीमती मिथलेश बाजपेयी के द्वारा रिक्त हुए स्थान पर ही क्यों नहीं की गयी ? क्या इससे शासनादेश संख्या शिक्षा (घ) अनुभाग-संख्या-एम-1982/15-5-91-28(66)/90, दिनांक 25 सितम्बर, 1991 का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और मंत्री जी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

उक्त विद्यालय में मानक के अनुसार पद रिक्त नहीं था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में सरस्वती शिक्षा मन्दिर, भवरखेड़ा, ब्लाक बण्डा, को प्राइमरी स्कूल की मान्यता देने की मांग

159–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरस्वती शिक्षा मंदिर, भवरखेड़ा, ब्लाक बण्डा, जनपद–शाहजहांपुर के प्राइमरी स्कूल की मान्यता दिए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र बी0 एस0 ए0, शाहजहांपुर के कार्यलय में लम्बित है ? क्या उक्त स्कूल 1989 से चल रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अभी तक मान्यता न दिए जाने का कारण क्या है ? शासन द्वारा उक्त मान्यता कब तक दे दी जायेगी ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं । सरस्वती शिक्षा मंदिर भवरखेड़ा, ब्लाक बण्डा, शाहजहांपुर को वर्ष 93-94 में एक वर्ष के लिए मान्यता दी गई है, जो 30 जून, 1994 को समाप्त हो चुकी है ।

उक्त विद्यालय के प्रबन्धक ने प्रथम बार 1992-93 में मान्यता हेतु आवेदन किया था ।

अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापक के कार्यरत होने के कारण संस्था द्वारा वर्ष 1992-93 में दिया गया आवेदन पत्र जिला मान्यता समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया था । पुनः वर्ष 1993-94 में आवेदन किये जाने पर संस्था को एक वर्ष के लिए (दि0 1-7-93 से 30-6-94 तक) मान्यता दी गई है । 30 जून, 1994 के पश्चात् मान्यता के नवीनीकरण पर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

सन्त कबीर की निर्वाण स्थली मगहर जिला बस्ती को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना की जानकारी

160–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्त कबीर के निर्वाण स्थली मगहर, जिला बस्ती को पर्यटन हेतु विकसित करने की राज्य सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1992-93 में जनपद बस्ती में मगहर स्थित सन्त कबीर स्थली के विकास/जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु 6.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण इसके अतिरिक्त अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

गौतम बुद्ध की जन्म स्थली पिपरहवा सिद्धार्थनगर को पर्यटन हेतु विकसित करने की कार्य योजना

161–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौतम बुद्ध की जन्म स्थली पिपरहवा (सिद्धार्थनगर) को पर्यटन हेतु विकसित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना क्या है ? उक्त कार्य योजना कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पिपरहवा में भारत सरकार की सहायता से मार्गीय सुविधा तथा ओ0ई0सी0एफ0 (ओवरसीज एकानामिक कोआपरेशन फण्ड, जापान) की सहायता से फरेन्दा-नौगढ़-बडपुर-पिपरहवा मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं आन्तरिक मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चीकृत वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर स्तर पर अनुदानित करने की मांग

162–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त होने पर यदि विद्यालय का उच्चीकरण होता है, तो जूनियर हाई स्कूल से अनुदानित क्यों नहीं किया जाता है ? क्या उच्चीकृत वित्त विहीन मान्यता होने पर जूनियर स्तर पर अनुदानित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

कोई मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल यदि उच्चीकृत हो जाता है तो वह वेतन वितरण अधिनियम, 1978 की परिधि में नहीं आता । उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु वही 'अ' श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालय पात्र होते हैं जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसे विद्यालय वेतन वितरण अधिनियम, 1978 की परिधि में नहीं आते हैं ।

रायबरेली जिले में विकास खण्ड डीह फेंचीरगंज बिरनामा मार्ग एवं विकास खण्ड छतोह के कुवरमऊ–नसीराबाद के मार्ग को लेपन स्तर तक बनाने की मांग

163–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में विकास खण्ड डीह फेंचीरगंज बिरनामा मार्ग एवं विकास खण्ड छतोह के कुवरमऊ–नसीराबाद मार्ग लेपन स्तर तक, डामर रोड तक स्वीकृत है ? क्या उसको इसी वर्ष डामर रोड करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । प्रश्नगत मार्ग बीरगंज-बिरनामा मार्ग के नाम से स्वीकृत है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पूर्ण मार्ग का डामरीकरण सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

164–श्री लाल मणि प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

संस्थागत वित्त के अधीनस्थ विभाग में सृजित पदों की संख्या तथा आरक्षण कोटे को पूर्ण करने की मांग

165–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ संस्थागत वित्त विभाग में कुल कितने पद सृजित हैं ? उनमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न पूरा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संस्थागत वित्त विभाग के अधीनस्थ विभाग में कुल सृजित पदों के विरुद्ध सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या एवं पिछड़े तथा अनुसूचित जाति के कार्यरत लोगों की संख्या निम्न प्रकार है :–

विभाग	कुल सृजित पद	सामान्य	पिछड़े	अनु0जा0
व्यापार कर	14206	6718	2126	2292
व्यापार कर अधिकरण	522	246	97	104
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	2161	1159	314	350
मनोरंजन कर	618	327	101	120
संस्थागत वित्त निदेशालय	123	58	26	17
योग	17630	8508	2664	2883

आरक्षण संबंधी शासन के नवीनतम आदेश दिनांक 29-3-1994 के आधार पर कुछ संवर्गों में कोटा पूर्ण नहीं है, जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग में आरक्षण का कोटा पूर्ण किए जाने की मांग

166–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कुल कितने पद सृजित हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न पूरा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता लो0 नि0 वि0 निर्माण खण्ड द्वितीय बदायूं से वांछित सूचनाओं के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

167–श्री दयासिन्धु शंखधर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता विधायक ने अधिशासी अभियन्ता लो0 नि0 वि0, निर्माण खण्ड द्वितीय, बदायूं से वांछित सूचनाओं के विषय में सचिव, लो0 नि0 वि0, लखनऊ, उ0 प्र0 को एक पत्र दिनांक 19-2-94 को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उक्त तथ्य का विवरण क्या है ? उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्राप्ति पंजी के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

168–श्री बालेश्वर त्यागी–

[तीसरे सोम0 के लिए स्थगित]

प्राथमिक शिक्षकों के मूल वेतन से कटने वाले 10 प्रतिशत धन भविष्य निधि के रख-रखाव को सुनिश्चित करने हेतु पास बुक जारी करने की मांग

169–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों के मूल वेतन से 10 प्रतिशत धन भविष्य निधि के लिये कटता है ? क्या उसके सही व नियमित विवरण के लिये सरकार पास-बुक जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी हां ।

पास-बुक जारी करने हेतु समस्त जनपदीय लेखाधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं

प्रश्न नहीं उठता ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद भी जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी गढ़वाल द्वारा की गई नियुक्ति का आरोप

170—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी गढ़वाल ने वर्ष 91 से 94 तक कितने विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की हैं ? रा0 उ0 मा0 वि0 जखाल भरदार में जनवरी, 94 के प्रथम सप्ताह में क्या स्थानीय व्यक्ति की चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो एक सप्ताह बाद उसे क्यों हटाया गया था ? क्या कारण है कि तत्काल दूरस्थ क्षेत्र के व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी गयी है ? ऐसी अवैधानिक नियुक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक, टिहरी गढ़वाल ने कितनी की हैं ? क्या इस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद बोर्ड को परीक्षा के सफल बनाने हेतु नियंत्रण कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अवकाश के दिनों में कार्य करने के कारण अतिरिक्त पारिश्रमिक की मांग

171—श्री जयपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं को सुचारु रूप से संचालित करने एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि के लिये प्रदेश भर में जिला मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में परीक्षा के दौरान नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन नियंत्रण कक्षों में शिक्षकों सहित अन्य कर्मियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या इन शिक्षक कर्मचारियों से राजपत्रित, निर्बन्धित एवं रविवारीय अवकाश तथा अन्य अवकाशों में भी नियंत्रण कक्ष में उपस्थित होकर कार्य करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या नियंत्रण कक्ष में नियुक्त कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए अन्य परिषदीय कार्यों की ही भांति पारिश्रमिक देय है ? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री शाकिर अली—

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लाटरी व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु न्यायालय के निर्णय के अनुपालन की जानकारी

172–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लाटरी व्यवसाय को नियंत्रित किये जाने संबंधी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकार सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त के अनुपालन हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? राज्य में कितनी लाटरियां चलायी जा रही हैं ? उ0 प्र0 राज्य लाटरी द्वारा अब तक सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और उसका उपयोग किन कार्यों पर हुआ और हो रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मा0 उच्चतम न्यायालय के संदर्भित निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार को अन्य राज्य सरकारों द्वारा संचालित लाटरियों को छोड़कर शेष लाटरियों (निजी लाटरियों व अन्य प्रदेश सरकारों द्वारा प्राधिकृत लाटरियों) को ही प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है और तदनुसार ऐसी लाटरियों को प्रतिबंधित करने का सैद्धांतिक निर्णय राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया है तथा इस बारे में अधिनियम/अध्यादेश जारी कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्प्रति 21 साप्ताहिक लाटरी योजनायें संचालित की जा रही हैं। अन्य लाटरियों के विषय में कोई अधिकृत सूचना प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं होती है ।

उ0 प्र0 राज्य लाटरी द्वारा सरकार को वर्ष 1993-94 तक कुल 190.39 करोड़ रुपये की धनराशि शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त हुई है । उ0प्र0 राज्य लाटरी द्वारा प्राप्त आय का उपयोग प्रदेश के चिकित्सालयों एवं उनमें चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर सामान्यतः किया जाता है ।

173–श्री बालेश्वर त्यागी–

[उत्तर सोम के लिए स्थगित]

जनपद गाजियाबाद में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती जगवती देवी गुप्ता के संबंध में शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र पिलखुआ द्वारा की गयी संस्तुति

174–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र पिलखुआ जनपद गाजियाबाद का पत्र दिनांक 23-7-92 जो शिक्षा निदेशक (बेसिक) को सम्बोधित है तथा सचिव बेसिक परिषद्, इलाहाबाद व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद को कन्या जूनियर हाईस्कूल (बालिका) पिलखुआ, जनपद गाजियाबाद के प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती जगवती देवी गुप्ता के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिक्षा अधीक्षक ने उक्त पत्र में क्या संस्तुति की है ? उक्त संस्तुति पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्णय लिया जायेगा ? क्या मंत्री जी निर्णय में देरी के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । श्रीमती जगवती देवी अध्यापिका को पदोन्नति किये जाने की संस्तुति की है । संबंधित शिक्षिका का वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । निर्णय होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी । प्रश्न नहीं उठता है ।

परमेन्द्र विक्रम सिंह 'बाबा', ग्राम बहरेलाडीह, पो तिवारीपुर, जनपद बाराबंकी के एवं श्री तीरथराज, स0 वि0 स0 द्वारा पृष्ठांकित व प्रमुख सचिव शिक्षा (बेसिक) को प्रेषित शिकायती पत्र की जांच आख्या की जानकारी

175–श्री तीरथ राज–

विधान सभा सत्र, 1994 के प्रथम सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-80 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित प्रकरण में शिकायतकर्ता परमेन्द्र विक्रम सिंह "बाबा" ने किन-किन अभिलेखों को सील करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया था ? क्या जांच अधिकारी द्वारा संबंधित अभिलेखों को सील किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित सहायक अध्यापक ने दिनांक 24-3-86, 6-9-86, 4-11-89, 4-11-92 को आकस्मिक अवकाश लिया था ? क्या मंत्री जी अब तक की जांच प्रगति को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संदर्भित प्रकरण में भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध अंकित कराया जायेगा ?

श्री शाकिर अली–

शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित अभिलेखों को सील करने का अनुरोध किया था :–

1–विद्यालय का उपस्थिति रजिस्टर

2–पत्र व्यवहार पंजिका

3–न्यायालय से संबंधित पत्रावलियां

जी हां ।

जी हां ।

जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार अध्यापक उल्लिखित तिथियों में अवकाश पर था । अतः अनियमित भुगतान का आरोप सिद्ध नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात जिले में स्थित ग्राम व पोस्ट जोत से तहसील रसूलाबाद तथा ग्राम उसरी के जवान सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

176–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कानपुर देहात जिले में स्थित ग्राम व पोस्ट जोत से तहसील रसूलाबाद तथा ग्राम उसरी के लिये बनी हुई सड़क का कार्य विगत लगभग 15 वर्षों से बन्द पड़ा है, जिससे काफी सड़क की मिट्टी तथा गिट्टियां बरसात में बह गयी हैं ? क्या यह भी सही है कि यहां पर अब कोई वाहन नहीं चल पा रहा है ? इन सड़कों के कार्य बन्द होने की क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराके उक्त सड़क ठीक करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ग्राम जोत से तहसील रसूलाबाद के नाम से कोई मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही इस नाम से कोई स्वीकृत है ।

ग्राम उसरी से जोत के लिए बनी सड़क तर मिट्टी से पत्थर की सोलिंग स्तर तक का कार्य, वर्ष 84-85 में सेक्टोरियल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत, स्वीकृत हुआ था जो वर्ष 87-88 में पूर्ण हुआ । ऊसर क्षेत्र होने के कारण वर्षा से गत वर्षों में मिट्टी व गिट्टी काफी क्षतिग्रस्त हो गई है ।

स्थानीय वाहन जैसे जीप, ट्रैक्टर एवं बैलगाड़ी आदि चल रहे हैं । प्रथम सड़क की स्थिति उक्तवत् स्वयं स्पष्ट है । द्वितीय सड़क पर अग्रेतर कार्य की स्वीकृति नहीं है । जांच की आवश्यकता नहीं है । सड़क का ठीक कराया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । वर्तमान में इनकी कमी है

शासन द्वारा प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों तथा अधिकारियों के नाम व पद हिन्दी और उसके नीचे उर्दू में लिखे जाने के निर्गत आदेश की जानकारी

177–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी कार्यालयों तथा अधिकारियों के पदों के नाम को बदलकर उन पर देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा तथा उर्दू दोनों में लिखने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । सभी सरकारी कार्यालयों में नाम पट्ट हिन्दी तथा उसके नीचे उर्दू में लिखे जाने एवं कार्यालय कक्षों के बाहर अधिकारियों के नाम व पदनाम को भी हिन्दी/उर्दू में लिखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

वाराणसी स्थित सारनाथ बौद्ध धर्म स्थली के विकास की योजना की जानकारी

178–श्री माया शंकर पाठक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित सारनाथ बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है ? यदि हां, तो उसमें विकास के लिये सरकार के पास क्या योजना है ? उस योजना पर कितना व्यय होने का प्राविधान है ? यदि योजना नहीं है, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । सारनाथ में ओवरसीज एकनामिक कोआपरेशन फण्ड (जापान) की सहायता से संचालित बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत लैण्ड स्केपिंग एवं आन्तरिक मार्गों का सुधार कार्य कराया जा रहा है । लैण्ड स्केपिंग के कार्य पर लगभग 102.5 लाख तथा आन्तरिक मार्गों के निर्माण पर लगभग 126.28 लाख रु0 व्यय होने का अनुमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(डायस पर पूर्व से ही श्री महेन्द्र सिंह माहरा व अन्य भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस की सदस्यों के फ्लोर पर खड़े रहने से घोर व्यवधान ।)

(डायस व फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्य, "लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, "पहाड़ बचाओ, पहाड़ बचाओ", "मुलायम सिंह मुर्दाबाद" के नारे लगाते रहे । श्री महेन्द्र सिंह माहरा नारा लगाते हुये अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य सदन की कार्यवाही चलती रही ।)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सुख साधन कर अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सुख साधन कर अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिभार नियमावली, 1992†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-4497/14-4-92-1 (16)-80, दिनांक 22 अप्रैल, 1992 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश वन निगम अधिभार नियमावली, 1992, जो दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि 6 दिसम्बर, 1992 को ग्यारहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-24 के साथ पठित धारा-33 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 की त्रुटियों का शोधन विवरण।

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन) विधेयक, 1994 में किए गए त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ :–

क्र0सं0	विधेयक का खण्ड	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
1	11 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली नई धारा 9-क का पार्श्व शीर्षक	प्रथम	दोने	दोने इत्यादि
2	112 का उपखण्ड (क)	प्रथम	पंचायत	सभाओं
3.	112 का उपखण्ड (ख)	प्रथम	"ग्राम सभा"	"ग्राम पंचायत"
4	121 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 267 की उपधारा (1) (क).	तृतीय	प्रायोजनों	प्रयोजनों
5	124 के उपखण्ड (ख) की अनुसूची 2 भाग-क का क्रमांक 31 (ख)	प्रथम	मरम्मत औ	मरम्मत और
6	—तदैव—	द्वितीय	दुभिक्ष र	दुर्भिक्ष और
7	124 के उपखण्ड (ख) की अनुसूची 2 भाग-क का क्रमांक 31 (ख)	प्रथम	बाजारों र	बाजारों और

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 की त्रुटियों का शोधन विवरण

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 में किए गए त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ :–

"विधेयक के खण्ड 10 के पार्श्वशीर्षक में शब्द "प्रतिस्थपन" के स्थान पर शब्द "प्रतिस्थापन" रख दिया गया है।"

(इसके मध्य नेता विरोधी दल श्री कल्याण सिंह एवं नेता कांग्रेस दल श्री प्रमोद तिवारी के प्रयास से डायस एवं फ्लोर पर खड़े सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 की त्रुटियों का शोधन विवरण

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 में किए गए त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं :–

क्र0सं0	विधेयक का खण्ड	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
1	7-(ङ)	प्रथम	अनाधिकृत	अनधिकृत
2	15	तृतीय	संबंध में जो	संबंध जो

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 21 फरवरी, 1994 को विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं :–

प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपकी अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 682/वि0स0/संसदीय/25(स)/93, दिनांक 17 मार्च, 1993 के लिए धन्यवाद ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 अप्रैल, 1994 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 27 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 अप्रैल, 1994 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मई, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मई, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया ।

(मद संख्या–19 में कोई सूचना नहीं है ।)

(मद संख्या–20 पर श्री रमापति शास्त्री जी का नाम पुकारे जाने पर–घोर व्यवधान)

(श्री महेन्द्र सिंह माहरा तेजी से आकर डायस पर चढ़ गए और उनके साथ कांग्रेस के अन्य सदस्यगण तथा भारतीय जनता पार्टी के भी कई सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आकर-शोर करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को एक घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(उत्तराखण्ड में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में अनुमति न मिलने पर विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा नारा लगाते हुए अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने पर घोर व्यवधान ।)

(श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री राम प्रसाद टम्टा, श्री यशपाल आर्य, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री हरक सिंह रावत, श्री रमेश चन्द्र पोखरियाल, श्री बची सिंह रावत आदि अनेक सदस्य उत्तरांचल एक अंचल उत्तरांचल–जिन्दाबाद-जिन्दाबाद के नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

(घोर व्यवधान के मध्य ही निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की गयीं ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनायें और अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज स्थित ग्राम कटुआ नाला, भ्रौनहा, शहरिया टेढ़ी रायपुर, शहरियाकलां, रायपुर माधोपुर एवं नरायनपुर कलां ग्रामों का विद्युतीकरण कराने विषयक श्री बैजनाथ सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिकायें †

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज, स्थित ग्राम कटुआ नाला, भ्रौनहा, शहरिया टेढ़ी रायपुर, शहरियाकलां, रायपुर, माधोपुर एवं नरायनपुरकलां ग्रामों का विद्युतीकरण कराने विषयक श्री बैजनाथ सिंह तथा श्री शीतल सिंह निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज स्थित ग्राम कटुआ नाला, भ्रौनहा, शहरियाकलां, टेढ़ी रायपुर, शहरियाकलां, रायपुर, नरायनपुरकलां, माधोपुर आदि गांवों में ट्यूबवेल लगवाने विषयक श्री बैजनाथ सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज स्थित ग्राम सभा कटुआ नाला, भ्रौनहा, शहरियाकलां, टेढ़ी रायपुर, शहरिया, रायपुर, नरायनपुरकलां, माधोपुर आदि गांवों में सिंचाई की सुविधा हेतु सरकारी ट्यूबवेल लगवाने विषयक श्री बैजनाथ सिंह तथा श्री बजरंग सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद गोंडा के अंतर्गत विकास खण्ड कटरा बाजार ग्राम कटुआ नाला के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके हाईस्कूल का दर्जा देने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोंडा के अंतर्गत ग्राम कटुआ नाला विकास खण्ड कटरा बाजार के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके हाईस्कूल का दर्जा देने विषयक श्री कमल कुमार सिंह तथा श्री देवेन्द्र सिंह निवासीगण जनपद गोंडा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज, स्थित ग्राम कटुआ नाला में एक पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज स्थित ग्राम कटुआ नाला में एक पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह तथा श्री देवेन्द्र सिंह निवासी गण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं,

नोट :– †छापी नहीं गयी ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार, अन्तर्गत ग्राम कटुआ नाला में एक महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम कटुआ नाला, तहसील कर्नलगंज, विकास खण्ड कटरा बाजार में एक महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह तथा श्री देवेन्द्र सिंह, निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊदल जी याचिका प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य द्वारा याचिका प्रस्तुत नहीं की गई ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 225 के अन्तर्गत कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना सदन को देता हूं :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा ने अपनी बैठक दिनांक 18 अगस्त, 1994 में सदन के दिनांक 19 अगस्त, 1994 से 26 अगस्त, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

अगस्त, 1994	
19 शुक्रवार	1–विधन के निदेश (प्रश्नकाल नहीं होगा ।)
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
22 सोमवार	1–औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि । 2–असरकारी दिवस (दिनांक 26 अगस्त, 1994 के स्थान पर ।)
23 मंगलवार	1–विधायी कार्य । 2–5.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1994–95 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

नोट:– † छापी नहीं गयी ।

24 बुधवार — 1–वित्तीय वर्ष 1994–95 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (आधा दिन ।)

25 गुरुवार, 26 शुक्रवार — विधायी कार्य ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना अभी माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव मा0 संसदीय-कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु दो विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

"मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

†दिनांक 26-8-94 में असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करता हूँ ।

(घोर व्यवधान)

(उत्तराखण्ड में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में अनुमति न मिलने पर अनेक सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिससे टेबिल पर रखी घड़ी आदि क्षतिग्रस्त हो गयी तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा सुरक्षा गार्डों को ढकेलते हुए अध्यक्ष पीठ तक पहुंच गये तथा श्री अध्यक्ष को हटाने का प्रयास करने लगे । सुरक्षा गार्डों ने तत्काल श्री माहरा को काबू में लेकर उन्हें डायस से नीचे उतार दिया । श्री अध्यक्ष खड़े रहकर सदन का संचालन करते रहे । श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त मा0 सदस्यों को समझाने का प्रयास करते रहे फिर भी कई सदस्य नारे लगाते हुये अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ते ही रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा ।)

(व्यवधान के मध्य ही अगला कार्य सम्पन्न हुआ ।)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1994 को पुरःस्थापित करता हूँ ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ ।

†दिनांक 26-8-94 में असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(सदन में निरन्तर घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 23-8-94 को प्रातः 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन अपराह्न 1 बजकर 32 मिनट पर मंगलवार दिनांक 23 अगस्त, 1994 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

22 अगस्त, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये ता0 प्र0 सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

संलग्नक

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम को राज्य सेक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण

वर्ष	धनराशि (लाख रुपयों में)
1–जनपद देवरिया में घाघरा सेतु (भागलपुर) के निर्माण हेतु	
1986–87	42·03
1987–88	152·21
1988–89	159·78
1989–90	125·54
1990–91	71·52
1991–92	63·45
1992–93	8·67
1993–94	35·15
योग	658·35

2–जनपद बलिया में घाघरा सेतु (मांझी घाट) के निर्माण हेतु	
1990–91	80·985
योग	80·985

3–जनपद बलिया में सोनौली बलिया मार्ग पर सम्पार सं0 3ए पर रेल उपरिगामी सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु रेलवे सुरक्षा निधि से दिया गया धन:–

1989–90	13·00
1990–91	15·92
1991–92	28·27
1992–93	36·35
1993–94	50·00
6/94 तक	60·00
योग	203·54

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(दीर्घायु अता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1994 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या–13 के उत्तर का संलग्नक ।

वर्ष 1991–92

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	जमा की गयी धनराशि
1–	श्री डी0 सी0 नौटियाल, प्रबन्ध निदेशक	450·00
2–	श्री जी0 सी0 गर्ग, मह प्रबन्धक	150·00
3–	श्री पी0के0 अग्रवाल, स्थानिक अभियन्ता (वि0)	150·00
		750·00

वर्ष 1992–93

1–	श्री डी0 सी0 नौटियाल, प्रबन्ध निदेशक	1800·00
		1800·00

वर्ष 1993–94

1–	श्री डी0 सी0 नौटियाल, प्रबन्ध निदेशक	1200·00
2–	श्री वी0के0 श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक	600·00
3–	जे0के0 नाट, मुख्य लेखाधिकारी	1050·00
4–	श्री वी0के0 मुद्गल, लेखा नियंत्रक	600·00
5–	श्री प्रदीप अग्रवाल, प्रबन्धक (अनुश्रवण)	600·00
6–	श्री आशुतोष कुमार, प्रबन्धक (यान्त्रिक)	300·00
7–	श्री ए0के0 गुप्ता, अपर परियोजना प्रबन्धक (डिजाइन)	150·00
8–	श्री डी0 मलिक, अपर परियोजना प्रबन्धक (डिजाइन)	150·00
9–	श्री के0पी0एस0 सिसोदिया, परियोजना प्रबन्धक	300·00
10–	श्री जे0सी0 बेलवाल, अपर परियोजना प्रबन्धक	600·00
11–	श्री सी0पी0एल0 श्रीवास्तव, अपर परियोजना प्रबन्धक	750·00
12–	श्री वी0के0 बन्सल, परियोजना प्रबन्धक	450·00
13–	श्री वी0के0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (द0पू0अं0)	750·00
14–	श्री ए0के0 तिवारी, अपर परियोजना प्रबन्धक (वि0)	150·00
15–	श्री आर0पी0 कपूर, महा प्रबन्धक (दिल्ली अंचल)	1050·00

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	जमा की गई धनराशि
16–	श्री एस0सी0 जैन, परियोजना प्रबन्धक	1000·00
17–	श्री के0आर0 बागल, परियोजना प्रबन्धक	1200·00
18–	श्री राम कुमार, परियोजना प्रबन्धक	900·00
19–	श्री हरिक भट्टाचार्या, परियोजना प्रबन्धक	900·00
		12300·00

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश

(कार्यवाही अनुभाग)

संख्या– 273/वि0स0/2(का)/87 लखनऊ: दिनांक 5 दिसम्बर, 1996

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 22 अगस्त, 1994 ई0, खण्ड 413, अंक 2 में निम्नलिखित स्तम्भ 4 में अंकित अशुद्ध शब्दों /वाक्यों को स्तम्भ 5 में अंकित शुद्ध रूप में पढ़ा जाय :–

क्र0सं0	पृ0सं0	पंक्ति सं0	अशुद्ध शब्द/वाक्य	शुद्ध शब्द/वाक्य
1	2	3	4	5
1–	2	29	संचालिधा	संचालित
2–	4	[illegible]	अनुदन	अनुदान
3–	31	36	दस्सरे	दूसरे
4–	34	31	मत्त्री	मंत्री
5–	37	16	श्री शिवराम सिंह कुशवाहा	श्री शिवराम सिंह कुशवाहा
6–	74	15	शाहजहातुर	शाहजहांपुर

आज्ञा से,

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव ।